



2026: AHC: 29741

प्रकाशनार्थ अनुमोदित

निर्णय सुरक्षित रखा गया: 18.12.2025

निर्णय सुनाया गया: 11.02.2026

निर्णय अपलोड किया गया: 11.02.2026

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आवेदन अंतर्गत धारा 482 संख्या - 15862 वर्ष 2024

गोपाल प्रसाद शर्मा

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

.....विपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता : राजेश कुमार पाण्डेय

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



विपक्षी के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

साथ में

अन्य संबद्ध वाद

न्यायालय संख्या - 78

माननीय न्यायमूर्ति अवनीश सक्सेना

1. यह मुख्य मामला संबद्ध मामलों के साथ, माननीय मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा दिनांक 29.11.2025 को नामित किए जाने के उपरांत इस न्यायालय द्वारा ग्रहण किया गया है।
2. इस समूह में मुख्य मामला परिवादी (गोपाल प्रसाद शर्मा) द्वारा अभियुक्त विपक्षी संख्या 2 (राम अनूप प्रसाद उर्फ राय अनूप प्रसाद) के विरुद्ध दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अंतर्गत दाखिल किया गया एक आवेदन है, जिसमें इस न्यायालय से यह निदेश देने की मांग की गई है कि परिवादी द्वारा बारह वर्ष पूर्व परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 के अधीन अपराध हेतु, पुलिस थाना शाहगंज, जिला आगरा में दाखिल किए गए परिवाद का त्वरित निस्तारण किया जाए। यह आवेदन विशेष रूप से परिवाद मामला संख्या 74 वर्ष 2012 (गोपाल प्रसाद शर्मा बनाम राम अनूप प्रसाद उर्फ राय अनूप प्रसाद) में निदेश प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत किया गया है, यद्यपि उन्हीं

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



पक्षकारों के मध्य एक ही संव्यवहार से उत्पन्न सात अन्य परिवाद भी हैं। इस विषय पर विचार करने से पूर्व, एक ही घटना से उत्पन्न होने वाले इन सभी मामलों के मूल सार का उल्लेख किया जाना आवश्यक है।

3. उपर्युक्त आवेदन से संबद्ध आठ अन्य आवेदन अभियुक्त/आवेदक (राम अनूप प्रसाद उर्फ राय अनूप प्रसाद) द्वारा गोपाल प्रसाद शर्मा (परिवादी) के विरुद्ध दाखिल किए गए हैं, जिनका प्राथमिक उद्देश्य परिवादी द्वारा अभियुक्त/आवेदक के विरुद्ध दाखिल किए गए उन दांडिक पुनरीक्षणों को स्वीकार करने वाले आदेशों को चुनौती देना है, जिनके द्वारा विचारण मजिस्ट्रेट के उस आदेश को रद्द कर दिया गया था जिसमें दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 256 का अवलंब लेते हुए अभियुक्त/आवेदक को दोषमुक्त किया गया था; और अनुकल्पतः (वैकल्पिक रूप से), मजिस्ट्रेट द्वारा पारित दिनांक 25.02.2012 के उस समन आदेश को चुनौती देना है, जिसके द्वारा परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 के अधीन अपराध हेतु अभियुक्त/आवेदक को समन किया गया था।

निर्णय में संक्षिप्तता, व्यापकता और स्पष्टता के उद्देश्य से, आवेदक और विपक्षी संख्या 2 को निरूपित करने के लिए प्रयुक्त शब्दों में, मुकदमा दाखिल करने वाले को 'परिवादी' तथा परिवाद में समन किए गए व्यक्ति को 'अभियुक्त' माना गया है; जबकि परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 को

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



'एन.आई. अधिनियम' तथा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 को 'सीआरपीसी' के रूप में संदर्भित किया जाएगा।

4. अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता श्री रवीतेंद्र प्रताप सिंह के सहयोग से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सुशील शुक्ला; परिवादी के विद्वान अधिवक्ता श्री राजेश कुमार पाण्डेय; तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री राज शेखर श्रीवास्तव को सुना गया।

5. परिवादी ने वर्ष 2012 में आगरा के मजिस्ट्रेट के समक्ष अभियुक्त के विरुद्ध एन.आई. अधिनियम की धारा 138 के अधीन अपराध हेतु आठ परिवाद इस अभिकथित प्रकथन के साथ दाखिल किए कि परिवादी और अभियुक्त के मध्य घनिष्ठ एवं सौहार्दपूर्ण संबंध थे। जून 2011 के अंतिम सप्ताह में, अभियुक्त शाहगंज, आगरा स्थित परिवादी के घर आया और कुछ रुपयों की मांग की तथा परिवादी से गाजियाबाद स्थित अपने फ्लैट को 80,00,000/- रुपये के प्रतिफल पर क्रय करने का आग्रह किया। परिवादी ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और जुलाई 2011 के प्रथम सप्ताह में, उसने तीन व्यक्तियों की उपस्थिति में अभियुक्त को अग्रिम के रूप में 30,00,000/- रुपये दिए, जिन (व्यक्तियों) के नामों का खुलासा परिवाद में किया गया है। पक्षकारों के मध्य यह सहमति हुई थी कि शेष 50,00,000/- रुपये की धनराशि का भुगतान विक्रय पत्र के निष्पादन के समय किया जाएगा। किन्हीं कारणों से यह सौदा पूर्ण नहीं हो सका और अभियुक्त ने अग्रिम धनराशि वापस करने की पेशकश की, जिसे परिवादी द्वारा स्वीकार कर लिया गया। तत्पश्चात्

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अभियुक्त ने आठ चेकों के माध्यम से 30,00,000/- रुपये वापस किए। 2,50,000/- रुपये के चार चेक और 5,00,000/- रुपये के चार चेक। ये सभी चेक धनराशि की अपर्याप्तता के कारण अनादृत हो गए, जिसके परिणामस्वरूप आठ दांडिक परिवाद संस्थित किए गए।

6. सभी आठ परिवादों में विद्वान मजिस्ट्रेट ने एन.आई. अधिनियम की धारा 138 के अधीन अपराध के लिए अभियुक्त के विरुद्ध संज्ञान लिया और अभियुक्त को समन जारी किए। दो वर्ष की निरंतर अवधि तक समन जारी किए जाते रहे, परंतु अभियुक्त उपस्थित नहीं हुआ। तत्पश्चात मजिस्ट्रेट ने जमानतीय वारंट जारी किया, परंतु फिर भी अभियुक्त उपस्थित नहीं हुआ। दिनांक 29.09.2014 को, परिवादी अपने परिवार में हुई एक मृत्यु के कारण विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हो सका और उसके अधिवक्ता भी उपस्थित नहीं हुए, जिसके परिणामस्वरूप विद्वान मजिस्ट्रेट ने सीआरपीसी की धारा 256 का प्रयोग करते हुए सभी आठ परिवादों को खारिज कर दिया और अभियुक्त को दोषमुक्त कर दिया। मजिस्ट्रेट के इसी आदेश को परिवादी द्वारा सत्र न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण में चुनौती दी गई थी तथा पुनरीक्षण न्यायालय ने सभी आठ पुनरीक्षण याचिकाओं में विद्वान मजिस्ट्रेट के आदेश को अपास्त (रद्द) कर दिया। विद्वान मजिस्ट्रेट ने पुनः आदेशिकाओं को जारी करने का आश्रय लिया और दिनांक 24.01.2024 तक अभियुक्त के विरुद्ध निरंतर समन, जमानतीय वारंट और गैर-जमानतीय वारंट जारी किए जाते रहे, परंतु वह विचारण को आगे बढ़ाने हेतु उपस्थित नहीं हुआ; इसके विपरीत उसने पुनरीक्षण न्यायालय के आदेश और

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अनुकल्पतः मजिस्ट्रेट द्वारा पारित संज्ञान आदेश को रद्द करने के लिए सीआरपीसी की धारा 482 के अंतर्गत संबद्ध आठ आवेदन प्रस्तुत कर दिए। अब, इन सभी आठ आवेदनों पर पृथक रूप से विचार करना समीचीन होगा।

[1. दांडिक प्रकीर्ण आवेदन अंतर्गत धारा 482 सीआरपीसी संख्या 12094 वर्ष 2024 (राय अनूप प्रसाद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य)] :-

7. परिवाद मामला संख्या 80 वर्ष 2012 (गोपाल प्रसाद शर्मा बनाम राम अनूप प्रसाद उर्फ राय अनूप प्रसाद), साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड, चित्तरंजन पार्क शाखा, नई दिल्ली, 110019 पर आहरित 2,50,000/- रुपये के **चेक संख्या 598510** दिनांक 26.09.2011 के अनादरण के संबंध में दाखिल किया गया था। यह चेक परिवादी द्वारा दिनांक 27.09.2011 को अपने इंडियन ओवरसीज बैंक, कमला नगर, आगरा में जमा किया गया था, परंतु बैंक द्वारा चेक बिना भुगतान के वापस कर दिया गया। परिवादी ने अभियुक्त से संपर्क किया, जिसने चेक को पुनः प्रस्तुत करने के लिए कहा, जिस पर चेक को दिनांक 30.10.2011 और 23.11.2011 को पुनः प्रस्तुत किया गया, परंतु 'अपर्याप्त धनराशि' की टिप्पणी के साथ पुनः बिना भुगतान के वापस आ गया। चेक के अनादृत होने की सूचना बैंक द्वारा दिनांक 24.11.2011 के ज्ञापन (मेमो) के माध्यम से दी गई थी। दिनांक 13.12.2011 का विधिक नोटिस भेजा गया और दिनांक 24.01.2012 को परिवाद दाखिल किया गया। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-चतुर्थ, आगरा के न्यायालय ने चेक के अनादरण के संबंध में साक्ष्य की पर्याप्तता

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



पर विचार किया और एन.आई. अधिनियम की धारा 138 के अधीन अपराध का संज्ञान लिया, तदनुसार दिनांक 25.02.2012 के आदेश द्वारा अभियुक्त को समन जारी किए। दिनांक 30.03.2012 से 18.06.2014 तक अभियुक्त के विरुद्ध निरंतर समन जारी किए जाते रहे। दिनांक 14.08.2014 को अभियुक्त के विरुद्ध 5,000/- रुपये का जमानतीय वारंट जारी किया गया। दिनांक 27.09.2014 को पक्षकार उपस्थित नहीं हुए। तत्पश्चात मामले को अग्रिम आदेशों हेतु नियत किया गया। दिनांक 29.09.2014 को न तो परिवादी उपस्थित था और न ही अभियुक्त, जिसके परिणामस्वरूप परिवाद को खारिज कर दिया गया और सीआरपीसी की धारा 256 के अंतर्गत अभियुक्त को दोषमुक्त कर दिया गया। उक्त आदेश नीचे उद्धृत किया गया है:-

"29.09.2014- पुकार कराई गई। परिवादी उपस्थित नहीं है, पिछली सुनवाई की तिथि पर भी परिवादी उपस्थित नहीं था। समय अपराहन 2:40 बजे है, अतः परिवाद को धारा 256 सीआरपीसी के अंतर्गत खारिज किया जाता है और अभियुक्त को दोषमुक्त किया जाता है। पत्रावली अभिलेखागार (रिकॉर्ड रूम) में संचित की जाए।"

8. विद्वान मजिस्ट्रेट के इस आदेश को दांडिक पुनरीक्षण संख्या 529 वर्ष 2017 (गोपाल प्रसाद शर्मा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य) में चुनौती दी गई। दिनांक 29.09.2014 के आदेश को अपास्त करते हुए दिनांक 04.04.2018 के आदेश द्वारा पुनरीक्षण को स्वीकार कर लिया गया।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



पुनरीक्षण में यह निदेश दिया गया है कि विद्वान मजिस्ट्रेट गुण-दोष के आधार पर परिवाद का निस्तारण करें।

9. विद्वान मजिस्ट्रेट ने मामले को पुनः ग्रहण किया है। दिनांक 10.04.2018 से 30.01.2019 तक निरंतर समन जारी किए गए; दिनांक 15.03.2019 से 05.10.2019 तक जमानतीय वारंट जारी किए गए; तथा दिनांक 09.12.2019 से 24.01.2024 तक अभियुक्त के विरुद्ध गैर-जमानतीय वारंट जारी किए गए हैं। तत्पश्चात ही धारा 482 सीआरपीसी के अंतर्गत वर्तमान आवेदन दाखिल किया गया है।

[2. दांडिक प्रकीर्ण आवेदन अंतर्गत धारा 482 सीआरपीसी संख्या 12548 वर्ष 2024 (राय अनूप प्रसाद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य)] :-

10. परिवाद मामला संख्या 76 वर्ष 2012 (गोपाल प्रसाद शर्मा बनाम राम अनूप प्रसाद उर्फ राय अनूप प्रसाद), साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड, चित्तरंजन पार्क शाखा, नई दिल्ली, 110019 पर आहरित 2,50,000/- रुपये के चेक संख्या 598509 दिनांक 26.09.2011 के अनादरण के संबंध में दाखिल किया गया था। यह चेक परिवादी द्वारा दिनांक 27.09.2011 को अपने इंडियन ओवरसीज बैंक, कमला नगर, आगरा में जमा किया गया था, परंतु बैंक द्वारा चेक बिना भुगतान के वापस कर दिया गया। परिवादी ने अभियुक्त से संपर्क किया, जिसने चेक को पुनः प्रस्तुत करने के लिए कहा, जिस पर चेक को दिनांक 30.10.2011 और 23.11.2011 को पुनः प्रस्तुत किया गया, परंतु 'अपर्याप्त

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



धनराशि' की टिप्पणी के साथ पुनः बिना भुगतान के वापस आ गया। चेक के अनादृत होने की सूचना बैंक द्वारा दिनांक 24.11.2011 के ज्ञापन के माध्यम से दी गई थी। दिनांक 13.12.2011 का विधिक नोटिस भेजा गया और दिनांक 24.01.2012 को परिवाद दाखिल किया गया। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-चतुर्थ, आगरा के न्यायालय ने चेक के अनादरण के संबंध में साक्ष्य की पर्याप्तता पर विचार किया और एन.आई. अधिनियम की धारा 138 के अधीन अपराध का संज्ञान लिया, तदनुसार दिनांक 25.02.2012 के आदेश द्वारा अभियुक्त को समन जारी किए। दिनांक 30.03.2012 से 18.06.2014 तक अभियुक्त के विरुद्ध निरंतर समन जारी किए जाते रहे। दिनांक 14.08.2014 को अभियुक्त के विरुद्ध 5,000/- रुपये का जमानतीय वारंट जारी किया गया। दिनांक 27.09.2014 को पक्षकार उपस्थित नहीं हुए। तत्पश्चात मामले को अग्रिम आदेशों हेतु नियत किया गया। दिनांक 29.09.2014 को न तो परिवादी उपस्थित था और न ही अभियुक्त, जिसके परिणामस्वरूप परिवाद को खारिज कर दिया गया और सीआरपीसी की धारा 256 के अंतर्गत अभियुक्त को दोषमुक्त कर दिया गया। उक्त आदेश नीचे उद्धृत किया गया है:-

"29.09.2014— पुकार कराई गई। परिवादी उपस्थित नहीं है, पिछली सुनवाई की तिथि पर भी परिवादी उपस्थित नहीं था। समय अपराह्न 2:50 बजे है, अतः परिवाद को धारा 256 सीआरपीसी के अंतर्गत खारिज किया जाता है और अभियुक्त को दोषमुक्त किया जाता है। पत्रावली अभिलेखागार में संचित की जाए।"

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



11. विद्वान मजिस्ट्रेट के इस आदेश को दांडिक पुनरीक्षण संख्या 526 वर्ष 2017 (गोपाल प्रसाद शर्मा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य) में चुनौती दी गई। दिनांक 29.09.2014 के आदेश को अपास्त (रद्द) करते हुए दिनांक 04.04.2018 के आदेश द्वारा पुनरीक्षण को स्वीकार कर लिया गया। पुनरीक्षण में यह निदेश दिया गया है कि विद्वान मजिस्ट्रेट गुण-दोष के आधार पर परिवाद का निस्तारण करें।

12. विद्वान मजिस्ट्रेट ने मामले को पुनः ग्रहण किया है। दिनांक 10.04.2018 से 24.01.2019 तक निरंतर समन जारी किए गए; दिनांक 15.03.2019 से 05.10.2019 तक जमानतीय वारंट जारी किए गए; तथा दिनांक 09.12.2019 से 24.01.2024 तक अभियुक्त के विरुद्ध गैर-जमानतीय वारंट जारी किए गए हैं। तत्पश्चात ही धारा 482 सीआरपीसी के अंतर्गत वर्तमान आवेदन दाखिल किया गया है।

[3. दांडिक प्रकीर्ण आवेदन अंतर्गत धारा 482 सीआरपीसी संख्या 12590 वर्ष 2024 (राय अनूप प्रसाद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य)] :-

13. परिवाद मामला संख्या 79 वर्ष 2012 (गोपाल प्रसाद शर्मा बनाम राम अनूप प्रसाद उर्फ राय अनूप प्रसाद), साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड, चित्तरंजन पार्क शाखा, नई दिल्ली, 110019 पर आहरित 2,50,000/- रुपये के चेक संख्या 598511 दिनांक 26.09.2011 के अनादरण के संबंध में दाखिल किया गया था। यह चेक परिवादी द्वारा दिनांक 27.09.2011 को अपने इंडियन ओवरसीज बैंक,

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



कमला नगर, आगरा में जमा किया गया था, परंतु बैंक द्वारा चेक बिना भुगतान के वापस कर दिया गया। परिवादी ने अभियुक्त से संपर्क किया, जिसने चेक को पुनः प्रस्तुत करने के लिए कहा, जिस पर चेक को दिनांक 30.10.2011 और 23.11.2011 को पुनः प्रस्तुत किया गया, परंतु 'अपर्याप्त धनराशि' की टिप्पणी के साथ पुनः बिना भुगतान के वापस आ गया। चेक के अनादृत होने की सूचना बैंक द्वारा दिनांक 24.11.2011 के ज्ञापन के माध्यम से दी गई थी। दिनांक 13.12.2011 का विधिक नोटिस भेजा गया और दिनांक 24.01.2012 को परिवाद दाखिल किया गया। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-चतुर्थ, आगरा के न्यायालय ने चेक के अनादरण के संबंध में साक्ष्य की पर्याप्तता पर विचार किया और एन.आई. अधिनियम की धारा 138 के अधीन अपराध का संज्ञान लिया, तदनुसार दिनांक 25.02.2012 के आदेश द्वारा अभियुक्त को समन जारी किए। दिनांक 30.03.2012 से 18.06.2014 तक अभियुक्त के विरुद्ध निरंतर समन जारी किए जाते रहे। दिनांक 14.08.2014 को अभियुक्त के विरुद्ध 5,000/- रुपये का जमानतीय वारंट जारी किया गया। दिनांक 26.09.2014 को पक्षकार उपस्थित नहीं हुए। तत्पश्चात मामले को अग्रिम आदेशों हेतु नियत किया गया। दिनांक 29.09.2014 को न तो परिवादी उपस्थित था और न ही अभियुक्त, जिसके परिणामस्वरूप परिवाद को खारिज कर दिया गया और सीआरपीसी की धारा 256 के अंतर्गत अभियुक्त को दोषमुक्त कर दिया गया। उक्त आदेश नीचे उद्धृत किया गया है:-

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



"29.09.2014- पुकार कराई गई। परिवादी उपस्थित नहीं है। समय अपराह्न 2:50 बजे है। पिछली सुनवाई की तिथि पर भी परिवादी उपस्थित नहीं था, अतः परिवाद को धारा 256 सीआरपीसी के अंतर्गत खारिज किया जाता है और अभियुक्त को दोषमुक्त किया जाता है। पत्रावली अभिलेखागार में संचित की जाए।"

14. विद्वान मजिस्ट्रेट के इस आदेश को दांडिक पुनरीक्षण संख्या 528 वर्ष 2017 (गोपाल प्रसाद शर्मा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य) में चुनौती दी गई। दिनांक 29.09.2014 के आदेश को अपास्त करते हुए दिनांक 04.04.2018 के आदेश द्वारा पुनरीक्षण को स्वीकार कर लिया गया। पुनरीक्षण में यह निदेश दिया गया है कि विद्वान मजिस्ट्रेट गुण-दोष के आधार पर परिवाद का निस्तारण करें।

15. विद्वान मजिस्ट्रेट ने मामले को पुनः ग्रहण किया है। दिनांक 10.04.2018 से 30.01.2019 तक निरंतर समन जारी किए गए; दिनांक 15.03.2019 से 05.10.2019 तक जमानतीय वारंट जारी किए गए; तथा दिनांक 09.12.2019 से 24.01.2024 तक अभियुक्त के विरुद्ध गैर-जमानतीय वारंट जारी किए गए हैं। तत्पश्चात ही धारा 482 सीआरपीसी के अंतर्गत वर्तमान आवेदन दाखिल किया गया है।

[4. दांडिक प्रकीर्ण आवेदन अंतर्गत धारा 482 सीआरपीसी संख्या 12625 वर्ष 2024 (राय अनूप प्रसाद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य)] :-

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



16. परिवाद मामला संख्या 78 वर्ष 2012 (गोपाल प्रसाद शर्मा बनाम राम अनूप प्रसाद उर्फ राय अनूप प्रसाद), साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड, चित्तरंजन पार्क शाखा, नई दिल्ली, 110019 पर आहरित 2,50,000/- रुपये के चेक संख्या 598508 दिनांक 26.09.2011 के अनादरण के संबंध में दाखिल किया गया था। यह चेक परिवादी द्वारा दिनांक 27.09.2011 को अपने इंडियन ओवरसीज बैंक, कमला नगर, आगरा में जमा किया गया था, परंतु बैंक द्वारा चेक बिना भुगतान के वापस कर दिया गया। परिवादी ने अभियुक्त से संपर्क किया, जिसने चेक को पुनः प्रस्तुत करने के लिए कहा, जिस पर चेक को दिनांक 30.10.2011 और 23.11.2011 को पुनः प्रस्तुत किया गया, परंतु 'अपर्याप्त धनराशि' की टिप्पणी के साथ पुनः बिना भुगतान के वापस आ गया। चेक के अनादृत होने की सूचना बैंक द्वारा दिनांक 24.11.2011 के ज्ञापन के माध्यम से दी गई थी। दिनांक 13.12.2011 का विधिक नोटिस भेजा गया और दिनांक 24.01.2012 को परिवाद दाखिल किया गया। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-चतुर्थ, आगरा के न्यायालय ने चेक के अनादरण के संबंध में साक्ष्य की पर्याप्तता पर विचार किया और एन.आई. अधिनियम की धारा 138 के अधीन अपराध का संज्ञान लिया, तदनुसार दिनांक 25.02.2012 के आदेश द्वारा अभियुक्त को समन जारी किए। दिनांक 30.03.2012 से 18.06.2014 तक अभियुक्त के विरुद्ध निरंतर समन जारी किए जाते रहे। दिनांक 14.08.2014 को अभियुक्त के विरुद्ध 5,000/- रुपये का जमानतीय वारंट जारी किया गया। दिनांक 26.09.2014 को पक्षकार उपस्थित नहीं हुए। तत्पश्चात मामले को अग्रिम आदेशों हेतु नियत किया गया। दिनांक 29.09.2014 को न तो परिवादी उपस्थित था और न ही अभियुक्त, जिसके

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



परिणामस्वरूप परिवाद को खारिज कर दिया गया और सीआरपीसी की धारा 256 के अंतर्गत अभियुक्त को दोषमुक्त कर दिया गया। उक्त आदेश नीचे उद्धृत किया गया है:-

"29.09.2014- पुकार कराई गई, परिवादी उपस्थित नहीं है। समय अपराह्न 2:45 बजे है, पिछली सुनवाई की तिथि पर भी परिवादी उपस्थित नहीं था। अतः परिवाद को धारा 256 सीआरपीसी के अंतर्गत खारिज किया जाता है और अभियुक्त को दोषमुक्त किया जाता है, पत्रावली अभिलेखागार में संचित की जाए।"

17. विद्वान मजिस्ट्रेट के इस आदेश को दांडिक पुनरीक्षण संख्या 334 वर्ष 2017 (गोपाल प्रसाद शर्मा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य) में चुनौती दी गई। दिनांक 29.09.2014 के आदेश को अपास्त करते हुए दिनांक 08.02.2018 के आदेश द्वारा पुनरीक्षण को स्वीकार कर लिया गया। पुनरीक्षण में यह निदेश दिया गया है कि विद्वान मजिस्ट्रेट गुण-दोष के आधार पर परिवाद का निस्तारण करें।

18. विद्वान मजिस्ट्रेट ने मामले को पुनः ग्रहण किया है। दिनांक 16.03.2018 से 20.06.2023 तक निरंतर समन जारी किए गए; तथा दिनांक 18.09.2023 से 24.01.2024 तक अभियुक्त के विरुद्ध जमानतीय वारंट जारी किए गए हैं। तत्पश्चात ही धारा 482 सीआरपीसी के अंतर्गत वर्तमान आवेदन दाखिल किया गया है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



[5. दांडिक प्रकीर्ण आवेदन अंतर्गत धारा 482 सीआरपीसी संख्या 12953 वर्ष 2024 (राय अनूप प्रसाद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य)] :-

18. परिवार मामला संख्या 72 वर्ष 2012 (गोपाल प्रसाद शर्मा बनाम राम अनूप प्रसाद उर्फ राय अनूप प्रसाद), साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड, चित्तरंजन पार्क शाखा, नई दिल्ली, 110019 पर आहरित 5,00,000/- रुपये के चेक संख्या 125833 दिनांक 31.10.2011 के अनादरण के संबंध में दाखिल किया गया था। यह चेक परिवारी द्वारा दिनांक 04.11.2011 को अपने इंडियन ओवरसीज बैंक, कमला नगर, आगरा में जमा किया गया था, परंतु बैंक द्वारा चेक बिना भुगतान के वापस कर दिया गया। परिवारी ने अभियुक्त से संपर्क किया, जिसने चेक को पुनः प्रस्तुत करने के लिए कहा, जिस पर चेक को दिनांक 23.11.2011 को पुनः प्रस्तुत किया गया, परंतु 'अपर्याप्त धनराशि' की टिप्पणी के साथ पुनः बिना भुगतान के वापस आ गया। चेक के अनादृत होने की सूचना बैंक द्वारा दिनांक 23.11.2011 के ज्ञापन के माध्यम से दी गई थी। दिनांक 13.12.2011 का विधिक नोटिस भेजा गया और दिनांक 24.01.2012 को परिवार दाखिल किया गया। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-चतुर्थ, आगरा के न्यायालय ने चेक के अनादरण के संबंध में साक्ष्य की पर्याप्तता पर विचार किया और एन.आई. अधिनियम की धारा 138 के अधीन अपराध का संज्ञान लिया, तदनुसार दिनांक 25.02.2012 के आदेश द्वारा अभियुक्त को समन जारी किए। दिनांक 30.03.2012 से 18.06.2014 तक अभियुक्त के विरुद्ध निरंतर समन जारी किए जाते रहे। दिनांक 14.08.2014

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



को अभियुक्त के विरुद्ध 5,000/- रुपये का जमानतीय वारंट जारी किया गया। दिनांक 26.09.2014 को पक्षकार उपस्थित नहीं हुए। तत्पश्चात मामले को अग्रिम आदेशों हेतु नियत किया गया। दिनांक 29.09.2014 को न तो परिवादी उपस्थित था और न ही अभियुक्त, जिसके परिणामस्वरूप परिवाद को खारिज कर दिया गया और सीआरपीसी की धारा 256 के अंतर्गत अभियुक्त को दोषमुक्त कर दिया गया। उक्त आदेश नीचे उद्धृत किया गया है:-

"29.09.2014- पुकार कराई गई, परिवादी उपस्थित नहीं है। समय अपराह्न 2:50 बजे है, पिछली सुनवाई की तिथि पर भी परिवादी उपस्थित नहीं था, अतः परिवाद को धारा 256 सीआरपीसी के अंतर्गत खारिज किया जाता है और अभियुक्त को दोषमुक्त किया जाता है। पत्रावली अभिलेखागार में संचित की जाए।"

19. विद्वान मजिस्ट्रेट के इस आदेश को दांडिक पुनरीक्षण संख्या 530 वर्ष 2017 (गोपाल प्रसाद शर्मा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य) में चुनौती दी गई। दिनांक 29.09.2014 के आदेश को अपास्त करते हुए दिनांक 04.04.2018 के आदेश द्वारा पुनरीक्षण को स्वीकार कर लिया गया। पुनरीक्षण में यह निदेश दिया गया है कि विद्वान मजिस्ट्रेट गुण-दोष के आधार पर परिवाद का निस्तारण करें।

21. विद्वान मजिस्ट्रेट ने मामले को पुनः ग्रहण किया है। दिनांक 10.04.2018 से 06.04.2019 तक निरंतर समन जारी किए गए; दिनांक 22.06.2019 को जमानतीय वारंट जारी किया गया;

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



तथा दिनांक 22.08.2019 से 24.01.2024 तक अभियुक्त के विरुद्ध गैर-जमानतीय वारंट जारी किए गए हैं। तत्पश्चात ही धारा 482 सीआरपीसी के अंतर्गत वर्तमान आवेदन दाखिल किया गया है।

[6. दांडिक प्रकीर्ण आवेदन अंतर्गत धारा 482 सीआरपीसी संख्या 12968 वर्ष 2024 (राय अनूप प्रसाद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य)] :-

22. परिवाद मामला संख्या 77 वर्ष 2012 (गोपाल प्रसाद शर्मा बनाम राम अनूप प्रसाद उर्फ राय अनूप प्रसाद), साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड, चित्तरंजन पार्क शाखा, नई दिल्ली, 110019 पर आहरित 5,00,000/- रुपये के चेक संख्या 125830 दिनांक 29.10.2011 के अनादरण के संबंध में दाखिल किया गया था। यह चेक परिवादी द्वारा दिनांक 04.11.2011 को अपने इंडियन ओवरसीज बैंक, कमला नगर, आगरा में जमा किया गया था, परंतु बैंक द्वारा चेक बिना भुगतान के वापस कर दिया गया। परिवादी ने अभियुक्त से संपर्क किया, जिसने चेक को पुनः प्रस्तुत करने के लिए कहा, जिस पर चेक को दिनांक 23.11.2011 को पुनः प्रस्तुत किया गया, परंतु 'अपर्याप्त धनराशि' की टिप्पणी के साथ पुनः बिना भुगतान के वापस आ गया। चेक के अनादृत होने की सूचना बैंक द्वारा दिनांक 24.11.2011 के जापन के माध्यम से दी गई थी। दिनांक 13.12.2011 का विधिक नोटिस भेजा गया और दिनांक 24.01.2012 को परिवाद दाखिल किया गया। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-चतुर्थ, आगरा के न्यायालय ने चेक के अनादरण के संबंध में साक्ष्य की पर्याप्तता पर विचार किया और एन.आई. अधिनियम की धारा 138 के अधीन अपराध का संज्ञान लिया, तदनुसार दिनांक

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



25.02.2012 के आदेश द्वारा अभियुक्त को समन जारी किए। दिनांक 30.03.2012 से 18.06.2014 तक अभियुक्त के विरुद्ध निरंतर समन जारी किए जाते रहे। दिनांक 14.08.2014 को अभियुक्त के विरुद्ध 5,000/- रुपये का जमानतीय वारंट जारी किया गया। दिनांक 26.09.2014 को पक्षकार उपस्थित नहीं हुए। तत्पश्चात मामले को अग्रिम आदेशों हेतु नियत किया गया। दिनांक 29.09.2014 को न तो परिवादी उपस्थित था और न ही अभियुक्त, जिसके परिणामस्वरूप परिवाद को खारिज कर दिया गया और सीआरपीसी की धारा 256 के अंतर्गत अभियुक्त को दोषमुक्त कर दिया गया। उक्त आदेश नीचे उद्धृत किया गया है:-

"29.09.2014- पुकार कराई गई। परिवादी उपस्थित नहीं है। समय अपराह्न 2:50 बजे है, पिछली सुनवाई की तिथि पर भी परिवादी उपस्थित नहीं था, अतः परिवाद को धारा 256 सीआरपीसी के अंतर्गत खारिज किया जाता है और अभियुक्त को दोषमुक्त किया जाता है। पत्रावली अभिलेखागार में संचित की जाए।"

23. विद्वान मजिस्ट्रेट के इस आदेश को दांडिक पुनरीक्षण संख्या 527 वर्ष 2017 (गोपाल प्रसाद शर्मा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य) में चुनौती दी गई। दिनांक 29.09.2014 के आदेश को अपास्त करते हुए दिनांक 04.04.2018 के आदेश द्वारा पुनरीक्षण को स्वीकार कर लिया गया। पुनरीक्षण में यह निदेश दिया गया है कि विद्वान मजिस्ट्रेट गुण-दोष के आधार पर परिवाद का निस्तारण करें।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



24. विद्वान मजिस्ट्रेट ने मामले को पुनः ग्रहण किया है। दिनांक 10.04.2018 से 24.01.2019 तक निरंतर समन जारी किए गए; दिनांक 15.03.2019 से 05.10.2019 तक जमानतीय वारंट जारी किए गए; तथा दिनांक 09.12.2019 से 24.01.2024 तक अभियुक्त के विरुद्ध गैर-जमानतीय वारंट जारी किए गए हैं। तत्पश्चात ही धारा 482 सीआरपीसी के अंतर्गत वर्तमान आवेदन दाखिल किया गया है।

[7. दांडिक प्रकीर्ण आवेदन अंतर्गत धारा 482 सीआरपीसी संख्या 13016 वर्ष 2024 (राय अनूप प्रसाद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य)] :-

25. परिवार मामला संख्या 74 वर्ष 2012 (गोपाल प्रसाद शर्मा बनाम राम अनूप प्रसाद उर्फ राय अनूप प्रसाद), साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड, चित्तरंजन पार्क शाखा, नई दिल्ली, 110019 पर आहरित 5,00,000/- रुपये के चेक संख्या 125832 दिनांक 30.10.2011 के अनादरण के संबंध में दाखिल किया गया था। यह चेक परिवादी द्वारा दिनांक 04.11.2011 को अपने इंडियन ओवरसीज बैंक, कमला नगर, आगरा में जमा किया गया था, परंतु बैंक द्वारा चेक बिना भुगतान के वापस कर दिया गया। परिवादी ने अभियुक्त से संपर्क किया, जिसने चेक को पुनः प्रस्तुत करने के लिए कहा, जिस पर चेक को दिनांक 23.11.2011 को पुनः प्रस्तुत किया गया, परंतु 'अपर्याप्त धनराशि' की टिप्पणी के साथ पुनः बिना भुगतान के वापस आ गया। चेक के अनादृत होने की सूचना बैंक द्वारा दिनांक 24.11.2011 के ज्ञापन के माध्यम से दी गई थी। दिनांक 13.12.2011 का विधिक नोटिस भेजा

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



गया और दिनांक 24.01.2012 को परिवाद दाखिल किया गया। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-चतुर्थ, आगरा के न्यायालय ने चेक के अनादरण के संबंध में साक्ष्य की पर्याप्तता पर विचार किया और एन.आई. अधिनियम की धारा 138 के अधीन अपराध का संज्ञान लिया, तदनुसार दिनांक 25.02.2012 के आदेश द्वारा अभियुक्त को समन जारी किए। दिनांक 30.03.2012 से 18.06.2014 तक अभियुक्त के विरुद्ध निरंतर समन जारी किए जाते रहे। दिनांक 14.08.2014 को अभियुक्त के विरुद्ध 5,000/- रुपये का जमानतीय वारंट जारी किया गया। दिनांक 26.09.2014 को पक्षकार उपस्थित नहीं हुए। तत्पश्चात मामले को अग्रिम आदेशों हेतु नियत किया गया। दिनांक 29.09.2014 को न तो परिवादी उपस्थित था और न ही अभियुक्त, जिसके परिणामस्वरूप परिवाद को खारिज कर दिया गया और सीआरपीसी की धारा 256 के अंतर्गत अभियुक्त को दोषमुक्त कर दिया गया। उक्त आदेश नीचे उद्धृत किया गया है:-

"29.09.2014- पुकार कराई गई, परिवादी उपस्थित नहीं है। समय अपराहन 2:45 बजे है, पिछली सुनवाई की तिथि पर भी परिवादी उपस्थित नहीं था। अतः परिवाद को धारा 256 सीआरपीसी के अंतर्गत खारिज किया जाता है और अभियुक्त को दोषमुक्त किया जाता है। पत्रावली अभिलेखागार में संचित की जाए।"

26. विद्वान मजिस्ट्रेट के इस आदेश को दांडिक पुनरीक्षण संख्या 532 वर्ष 2017 (गोपाल प्रसाद शर्मा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य) में चुनौती दी गई। दिनांक 29.09.2014 के आदेश को

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अपास्त करते हुए दिनांक 04.04.2018 के आदेश द्वारा पुनरीक्षण को स्वीकार कर लिया गया। पुनरीक्षण में यह निदेश दिया गया है कि विद्वान मजिस्ट्रेट गुण-दोष के आधार पर परिवाद का निस्तारण करें।

27. विद्वान मजिस्ट्रेट ने मामले को पुनः ग्रहण किया है। दिनांक 10.04.2018 से 10.08.2020 तक निरंतर समन जारी किए गए; तथा दिनांक 31.03.2022 से 24.01.2024 तक अभियुक्त के विरुद्ध गैर-जमानतीय वारंट जारी किए गए हैं। तत्पश्चात ही धारा 482 सीआरपीसी के अंतर्गत वर्तमान आवेदन दाखिल किया गया है।

[8. दांडिक प्रकीर्ण आवेदन अंतर्गत धारा 482 सीआरपीसी संख्या 13020 वर्ष 2024 (राय अनूप प्रसाद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य)] :-

28. परिवाद मामला संख्या 75 वर्ष 2012 (गोपाल प्रसाद शर्मा बनाम राम अनूप प्रसाद उर्फ राय अनूप प्रसाद), साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड, चित्तरंजन पार्क शाखा, नई दिल्ली, 110019 पर आहरित 5,00,000/- रुपये के चेक संख्या 125831 दिनांक 28.10.2011 के अनादरण के संबंध में दाखिल किया गया था। यह चेक परिवादी द्वारा दिनांक 04.11.2011 को अपने इंडियन ओवरसीज बैंक, कमला नगर, आगरा में जमा किया गया था, परंतु बैंक द्वारा चेक बिना भुगतान के वापस कर दिया गया। परिवादी ने अभियुक्त से संपर्क किया, जिसने चेक को पुनः प्रस्तुत करने के लिए कहा, जिस पर चेक को दिनांक 23.11.2011 को पुनः प्रस्तुत किया गया, परंतु 'अपर्याप्त धनराशि' की टिप्पणी

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



के साथ पुनः बिना भुगतान के वापस आ गया। चेक के अनादृत होने की सूचना बैंक द्वारा दिनांक 24.11.2011 के ज्ञापन के माध्यम से दी गई थी। दिनांक 13.12.2011 का विधिक नोटिस भेजा गया और दिनांक 24.01.2012 को परिवाद दाखिल किया गया। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-चतुर्थ, आगरा के न्यायालय ने चेक के अनादरण के संबंध में साक्ष्य की पर्याप्तता पर विचार किया और एन.आई. अधिनियम की धारा 138 के अधीन अपराध का संज्ञान लिया, तदनुसार दिनांक 25.02.2012 के आदेश द्वारा अभियुक्त को समन जारी किए। दिनांक 30.03.2012 से 18.06.2014 तक अभियुक्त के विरुद्ध निरंतर समन जारी किए जाते रहे। दिनांक 14.08.2014 को अभियुक्त के विरुद्ध 5,000/- रुपये का जमानतीय वारंट जारी किया गया। दिनांक 26.09.2014 को पक्षकार उपस्थित नहीं हुए। तत्पश्चात मामले को अग्रिम आदेशों हेतु नियत किया गया। दिनांक 29.09.2014 को न तो परिवादी उपस्थित था और न ही अभियुक्त, जिसके परिणामस्वरूप परिवाद को खारिज कर दिया गया और सीआरपीसी की धारा 256 के अंतर्गत अभियुक्त को दोषमुक्त कर दिया गया। उक्त आदेश नीचे उद्धृत किया गया है:-

"29.09.2014- पुकार कराई गई। परिवादी उपस्थित नहीं है। समय अपराहन 2:50 बजे है, पिछली सुनवाई की तिथि पर भी परिवादी उपस्थित नहीं था, अतः परिवाद को धारा 256 सीआरपीसी के अंतर्गत खारिज किया जाता है और अभियुक्त को दोषमुक्त किया जाता है। पत्रावली अभिलेखागार में संचित की जाए।"

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



29. विद्वान मजिस्ट्रेट के इस आदेश को दांडिक पुनरीक्षण संख्या 531 वर्ष 2017 (गोपाल प्रसाद शर्मा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य) में चुनौती दी गई। दिनांक 29.09.2014 के आदेश को अपास्त (रद्द) करते हुए दिनांक 04.04.2018 के आदेश द्वारा पुनरीक्षण को स्वीकार कर लिया गया। पुनरीक्षण में यह निदेश दिया गया है कि विद्वान मजिस्ट्रेट गुण-दोष के आधार पर परिवाद का निस्तारण करें।

30. विद्वान मजिस्ट्रेट ने मामले को पुनः ग्रहण किया है। दिनांक 10.04.2018 से 10.05.2018 तक निरंतर समन जारी किए गए; दिनांक 12.07.2018 से 10.08.2020 तक जमानतीय वारंट जारी किए गए; तथा दिनांक 31.03.2022 से 24.01.2024 तक अभियुक्त के विरुद्ध गैर-जमानतीय वारंट जारी किए गए हैं। तत्पश्चात ही धारा 482 सीआरपीसी के अंतर्गत वर्तमान आवेदन दाखिल किया गया है।

31. अभियुक्त की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता यह दलील देते हैं कि पुनरीक्षण न्यायालय (अपर सत्र न्यायालय) ने पुनरीक्षण की अधिकारिता का प्रयोग किया है, जो वर्तमान मामले में लागू नहीं होती है, जहां अभियुक्त को मजिस्ट्रेट द्वारा एन.आई. अधिनियम की धारा 138 के अधीन अपराध हेतु परिवाद मामले में दोषमुक्त किया गया है। परिवादी को उपलब्ध समुचित उपचार सीआरपीसी की धारा 378(4) के अंतर्गत अपील की इजाजत प्राप्त करना था। आगे यह

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



निवेदन है कि सीआरपीसी की धारा 401(4) स्पष्ट रूप से पुनरीक्षण की अधिकारिता को वर्जित करती है जहां संहिता में अपील का प्रावधान विहित है। अतः, यह निवेदन किया गया कि आवेदन स्वीकार किए जाने योग्य हैं और पुनरीक्षण न्यायालय का आक्षेपित आदेश, जिसके द्वारा पुनरीक्षण न्यायालय ने दोषमुक्ति के आदेश को अपास्त किया है, रद्द किया जाना चाहिए और तदनुसार मजिस्ट्रेट के समक्ष लंबित कार्यवाहियां भी रद्द की जानी चाहिए। विद्वान अधिवक्ता ने **अभिषेक मिश्रा उर्फ पिंटू बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य (1)**, **विनय कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य (2)**, **एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी लिमिटेड बनाम केशवानंद (3)**, **एस. आनंद बनाम वसुमथी चंद्रशेखर (4)**, **एस. राम कृष्ण बनाम एस. राम रेड्डी (मृत) द्वारा विधिक प्रतिनिधि एवं अन्य (5)**, **बीएलएस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड बनाम राजवंत सिंह एवं अन्य (6)**, **अनिल कुमार अग्रवाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य (7)** तथा **शीतला बख्श सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा सचिव (गृह) एवं अन्य (8)** के मामलों में दिए गए न्यायिक विनिश्चयों पर भरोसा जताया है। आगे यह भी निवेदन किया गया है कि पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि की दृष्टि में भी दोषपूर्ण है, क्योंकि पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा अभियुक्त को उसके पक्ष में पारित दोषमुक्ति के मजिस्ट्रेट के आदेश का बचाव करने का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया। यह अवसर सीआरपीसी की धारा 401(2) के अंतर्गत उपबंधित है। उन्होंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के **मनहरीभाई मुल्जीभाई काकड़िया बनाम शैलेशभाई मोहनभाई पटेल एवं अन्य (9)**, **पी. सुंदरराजन एवं अन्य बनाम आर. विद्या सेकर (10)** तथा **सुभाष साहेबराव देशमुख बनाम सतीश आत्माराम तालेकर एवं अन्य (11)**

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



के मामलों के निर्णयों का अवलंब लिया है। आगे यह भी निवेदन है कि अन्यथा भी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित संज्ञान आदेश विधि की दृष्टि में दोषपूर्ण है।

32. वह आगे निवेदन करते हैं कि मजिस्ट्रेट ने अभियुक्त के विरुद्ध एन.आई. अधिनियम की धारा 138 के अधीन अपराध का संज्ञान लेने और समन जारी करने में त्रुटि की है क्योंकि चेक एक कंपनी द्वारा जारी किया गया है और कंपनी को पक्षकार बनाए बिना अथवा कंपनी के निदेशक के विरुद्ध संज्ञान लिए बिना, अभियुक्त को व्यक्तिगत हैसियत से समन किया गया है। आगे यह भी निवेदन है कि संज्ञान आदेश विधि की दृष्टि में इसलिए भी दोषपूर्ण है क्योंकि परिवाद यह प्रकट नहीं करता कि जिस खाते से चेक जारी किया गया था वह अभियुक्त के नाम पर था और इसलिए, संज्ञान लेने का आदेश तथा अभियुक्त के विरुद्ध जारी समन विधि की दृष्टि में दोषपूर्ण हैं और इस आधार पर भी, मजिस्ट्रेट द्वारा जारी समन आदेश को रद्द किया जाना चाहिए। अपने तर्कों की पुष्टि में, विद्वान अधिवक्ता ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के **जुगेश सहगल बनाम शमशेर सिंह गोगी (12)**, **पीजे एगो टेक लिमिटेड एवं अन्य बनाम वाटर बेस लिमिटेड (13)** तथा **अनीता हाद्रा बनाम गॉडफादर ट्रैवल्स प्राइवेट लिमिटेड (14)** के मामलों के निर्णयों पर भरोसा जताया है।

33. इसके विपरीत, परिवादी के विद्वान अधिवक्ता और विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने यह निवेदन किया है कि **अभिषेक मिश्रा उर्फ पिटू बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य (15)** के मामले में बृहत्तर पीठ ने दिनांक **05.04.2025** के आदेश द्वारा यह मत व्यक्त किया है कि इस निर्देश

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(Reference) पर किसी विचार-विमर्श की आवश्यकता नहीं है और यह उत्तर दिए जाने योग्य नहीं है। विद्वान अधिवक्ता आगे निवेदन करते हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **इन रे:- परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 की धारा 138 के अधीन मामलों का त्वरित विचारण (16)** के मामले में चेक के अनादरण से संबंधित मामलों के शीघ्र निस्तारण हेतु सामान्य निदेश जारी किए हैं। आगे यह निवेदन है कि अभियुक्त चेक अनादरण के मामलों में जानबूझकर उपस्थित नहीं हुआ और अभियुक्त की अनुपस्थिति में ही मजिस्ट्रेट ने सीआरपीसी की धारा 256 का अवलंब लेते हुए परिवाद को खारिज किया था, जिसके विरुद्ध परिवादी ने पुनरीक्षण याचिकाएं दाखिल कीं, जिन्हें पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा उचित ही स्वीकार किया गया था। आगे यह भी निवेदन है कि पूरे मामले के दौरान किसी न किसी बहाने से समन की अवहेलना करने का अभियुक्त का आचरण, फ्लैट क्रय करने हेतु उसे दी गई अग्रिम धनराशि को वापस न करने के उद्देश्य से है, जो किसी कंपनी को नहीं दी गई थी, इसलिए किसी कंपनी को पक्षकार बनाना या एन.आई. अधिनियम की धारा 141 का अवलंब लेना आवश्यक नहीं है और तदनुसार, परिवाद अभियुक्त के विरुद्ध उसकी व्यक्तिगत हैसियत में दाखिल किया गया था। आगे यह निवेदन है कि चेक अभियुक्त द्वारा ऋण चुकाने के लिए जारी किए गए थे, जो अनादृत हो गए, और चूंकि नोटिस का अनुपालन नहीं किया गया, अतः परिवाद संस्थित किया गया। 14 लंबे वर्ष बीत जाने के बाद भी अभियुक्त का आशय अभी भी स्पष्ट और प्रत्यक्ष है कि वह धनराशि वापस नहीं करना चाहता। अभियुक्त एक कपटपूर्ण वादकारी है, अतः अभियुक्त द्वारा दाखिल किए गए आवेदनों को खारिज किया जाए।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



34. इस न्यायालय ने पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत की गई परस्पर विरोधी दलीलों पर विचार किया है तथा पत्रावली का अवलोकन किया है।

35. विधिक दृष्टिकोण पर विचार करने हेतु मामले के तथ्यात्मक परिदृश्य की पुनरावृत्ति आवश्यक है। परिवादी ने चेक के अनादरण के लिए अभियुक्त के विरुद्ध एन.आई. अधिनियम की धारा 138 के अधीन आठ परिवाद दाखिल किए हैं, जिनमें विद्वान मजिस्ट्रेट ने दिनांक 25.02.2012 को सीआरपीसी की धारा 204 के अंतर्गत आदेशिकाएं जारी की हैं। दो वर्ष तक आदेशिकाएं (समन और जमानतीय वारंट) जारी की जाती रहीं, परंतु अभियुक्त उपस्थित नहीं हुआ। दिनांक 29.09.2014 को, मजिस्ट्रेट ने परिवादी और अभियुक्त की अनुपस्थिति में परिवाद को खारिज कर दिया, जिसमें विशेष रूप से सीआरपीसी की धारा 256 के अंतर्गत अभियुक्त की दोषमुक्ति का उल्लेख किया गया। बिल्कुल आरंभ में ही यह इंगित किया जाना आवश्यक है कि अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने ऐसा कोई निर्णय प्रस्तुत नहीं किया है, जिसमें सीआरपीसी की धारा 378 के अंतर्गत अपील के उपचार अथवा सीआरपीसी की धारा 401 के साथ पठित धारा 397 के अंतर्गत पुनरीक्षण के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर विचार किया गया हो।

36. यह एक स्वीकृत तथ्य है कि परिवादी ने परिवाद को खारिज करके अभियुक्त को दोषमुक्त करने वाले मजिस्ट्रेट द्वारा पारित दिनांक 29.09.2014 के आदेश को चुनौती देने के लिए, सत्र न्यायालय के समक्ष सीआरपीसी की धारा 401 के साथ पठित धारा 397 का अवलंब लेते हुए दांडिक पुनरीक्षण

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



दाखिल किया है तथा अपर सत्र न्यायालय ने पुनरीक्षण अधिकारिता का प्रयोग करते हुए, मजिस्ट्रेट द्वारा पारित दिनांक 29.09.2014 के आदेशों को अपास्त करते हुए पुनरीक्षण याचिकाओं को स्वीकार कर लिया है।

37. पत्रावली से यह दर्शित होता है कि परिवादी निरंतर मजिस्ट्रेट के न्यायालय के समक्ष उपस्थित हो रहा था, और अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु समन तथा जमानतीय वारंट की तामीली के लिए कदम उठा रहा था, जैसा कि सीआरपीसी की धारा 204(4) के अंतर्गत उपबंधित है, जो यह दोहराती है: **"जब तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के द्वारा कोई आदेशिका-शुल्क या अन्य शुल्क देय हो, तब कोई भी आदेशिका तब तक जारी नहीं की जाएगी जब तक शुल्क का संदाय न कर दिया जाए, और यदि ऐसे शुल्क का संदाय युक्तियुक्त समय के भीतर नहीं किया जाता है, तो मजिस्ट्रेट परिवाद को खारिज कर सकता है।"**

38. पत्रावली से आगे यह भी प्रकट होता है कि मजिस्ट्रेट ने दिनांक 25.02.2012 से 18.06.2014 तक अभियुक्त को निरंतर समन जारी किए हैं। दिनांक 14.08.2014 को परिवादी उपस्थित था और अभियुक्त के विरुद्ध 5000/- रुपये का जमानतीय वारंट जारी किया गया था तथा अगली तिथि 27.09.2014 नियत की गई थी। दिनांक 27.09.2014 को मामला अग्रिम आदेशों हेतु नियत था, जिससे यह प्रकट होता है कि पक्षकार उपस्थित नहीं थे, और अभियुक्त पर जमानतीय वारंट की तामीली के संबंध में न्यायालय का कोई समाधान नहीं हुआ था। यह भी विचारणीय बिंदु है कि

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



दिनांक 27.09.2014 को, न्यायालय ने एक दिन के अंतराल के बाद 29.09.2014 की तिथि नियत की, जिस तिथि पर मजिस्ट्रेट ने परिवादी की अनुपस्थिति में परिवाद को खारिज कर दिया और अभियुक्त को दोषमुक्त कर दिया।

39. इस प्रकार विचारणीय बिंदु निम्नलिखित हैं:-

- (i) क्या परिवादी ने समन और आदेशिकाओं की तामीली के लिए ऐसे कदम नहीं उठाए, जैसा कि सीआरपीसी की धारा 204(4) के अधीन अपेक्षित है, जो मजिस्ट्रेट को परिवाद खारिज करने की शक्ति प्रदान करती है?
- (ii) क्या अभियुक्त को परिवाद में उपस्थित हुए बिना ही दोषमुक्त किया जा सकता था?
- (iii) क्या मजिस्ट्रेट द्वारा सीआरपीसी की धारा 256 की अपेक्षाओं का अनुपालन किया गया है, जिसमें स्थगित सुनवाई की तिथि पर परिवादी की उपस्थिति आवश्यक होती है?
- (iv) क्या दिनांक 25.02.2012 के संज्ञान लेने वाले आदेश के पारित होने के पश्चात से लेकर दिनांक 29.09.2014 को परिवाद खारिज करने तक, संज्ञानोपरांत प्रक्रम पर मजिस्ट्रेट के समक्ष पत्रावली में ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध था, जिस पर अभियुक्त की दोषमुक्ति के लिए विचार किया जा सकता था?

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



- (v) क्या मजिस्ट्रेट का वह आदेश 'जो उस अभियुक्त को दोषमुक्त करता है जो न्यायालय के समक्ष उपस्थित ही नहीं है या जिसने विचारण का सामना ही नहीं किया है', प्रत्यक्षतः एक अवैध और त्रुटिपूर्ण आदेश है, जिस पर सीआरपीसी की धारा 401 के साथ पठित धारा 397 के अंतर्गत पुनरीक्षण में विचार किए जाने की आवश्यकता है? अथवा केवल परिवाद का खारिज होना और सीआरपीसी की धारा 256 के अंतर्गत अभियुक्त को दोषमुक्त करना ही इस आदेश को सीआरपीसी की धारा 378 के अधीन अपील योग्य बना देता है? और यदि ऐसी स्थिति में अपील की इजाजत चाहने के लिए सीआरपीसी की धारा 378(4) के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत किया जाता है, तो क्या अपीलीय न्यायालय संज्ञानोपरांत प्रक्रम पर पत्रावली में साक्ष्य के बिना अपीलीय अधिकारिता का प्रयोग कर सकता है, क्योंकि परिवादी को इसे प्रस्तुत करने का कोई अवसर ही नहीं मिला?

40. सीआरपीसी की धारा 200 से 203 तक मजिस्ट्रेटों से परिवाद के संबंध में प्रावधान करती हैं (अध्याय XV), जो परिवाद ग्रहण करने, परिवादी और साक्षियों की शपथ पर परीक्षा करने तथा सीआरपीसी की धारा 203 के अंतर्गत परिवाद को खारिज करने से संबंधित हैं। परिवादी और साक्षियों के शपथ पर दिए गए कथनों तथा सीआरपीसी की धारा 202 के अंतर्गत की गई जांच या अन्वेषण के परिणाम (यदि कोई हो) पर विचार करने के उपरांत, यदि मजिस्ट्रेट को आगे कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं मिलता है, तो परिवाद सीआरपीसी की धारा 203 के अंतर्गत खारिज कर

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



दिया जाता है; परंतु यदि कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार मौजूद हो, तो सीआरपीसी की धारा 204 अपराध का संज्ञान लेने और अभियुक्त के विरुद्ध आदेशिकाएं जारी करने का प्रावधान करती है। वर्तमान मामले में, मजिस्ट्रेट ने चेक के अनादरण के सभी आठ मामलों में दिनांक 25.02.2012 को पृथक रूप से अपराध का संज्ञान लिया है।

41. परिवादी ने समन और जमानतीय वारंट जारी करने हेतु आवश्यक कदम उठाए हैं, जो अभियुक्त के विरुद्ध जारी किए गए हैं, परंतु अभियुक्त उपस्थित नहीं हुआ। पूर्व में उद्धृत किए गए दिनांक 29.09.2014 के आदेश से यह स्पष्ट रूप से प्रकट होता है कि परिवाद को आदेशिकाओं के लिए कदम न उठाने के कारण खारिज नहीं किया गया है, जैसा कि सीआरपीसी की धारा 204(4) के अधीन उपबंधित है। तदनुसार, बिंदु (i) पर इसी प्रकार विचार करके विनिश्चय किया जाता है।

42. संज्ञानोपरांत प्रक्रम पर, परिवादी द्वारा कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जा सका क्योंकि अभियुक्त परिवाद में कभी उपस्थित ही नहीं हुआ।

43. एन.आई. अधिनियम की धारा 143 उपबंधित करती है कि न्यायालय को मामले का संक्षिप्त विचारण करने की शक्ति है, जिसका सुसंगत उद्धरण यहां दोहराया गया है: ***"(1) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में किसी बात के होते हुए भी, इस अध्याय के अधीन सभी अपराधों का विचारण प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाएगा और उक्त संहिता की धारा 262 से 265 तक के (जिनमें ये दोनों धाराएं भी सम्मिलित हैं) उपबंध, जहां तक हो***

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



सके, ऐसे विचारण पर लागू होंगे।" इसके अतिरिक्त, सीआरपीसी की धारा 262 की उपधारा (1) यह उपबंधित करती है कि संक्षिप्त विचारण की प्रक्रिया वही होगी जो समन-मामलों के विचारण के लिए इस संहिता में उपबंधित है, यदि अन्यथा अपवादित न हो।

44. जबकि, समन-मामले का विचारण सीआरपीसी के अध्याय XX (धारा 251 से 259) में उपबंधित है। इसी सादृश्य के माध्यम से सीआरपीसी की धारा 256 का उपबंध एन.आई. अधिनियम के मामलों पर लागू होता है। सीआरपीसी की धारा 256 का उपबंध नीचे उद्धृत किया गया है:-

"256. परिवादी का हाजिर न होना या उसकी मृत्यु—

(1) यदि परिवाद पर समन जारी किया गया है, और अभियुक्त की हाजिरी के लिए नियत किए गए दिन या तत्पश्चात किसी ऐसे दिन जिसको सुनवाई स्थगित की जाए, परिवादी हाजिर नहीं होता है, तो इसमें इसके पूर्व अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, मजिस्ट्रेट अभियुक्त को दोषमुक्त कर देगा, जब तक कि वह किन्हीं कारणों से मामले की सुनवाई को किसी अन्य दिन तक के लिए स्थगित करना उचित न समझे:

परंतु जहां परिवादी का प्रतिनिधित्व किसी प्लीडर द्वारा या अभियोजन का संचालन करने वाले अधिकारी द्वारा किया जाता है अथवा जहां मजिस्ट्रेट की यह राय है कि

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



परिवादी की वैयक्तिक हाजिरी आवश्यक नहीं है, वहां मजिस्ट्रेट उसकी हाजिरी से उसे अभिमुक्ति दे सकेगा और मामले में आगे कार्यवाही कर सकेगा।

(2) उपधारा (1) के उपबंध, जहां तक हो सके, उन मामलों में भी लागू होंगे जहां परिवादी का हाजिर न होना उसकी मृत्यु के कारण है।"

45. वर्तमान परिवाद मामले में, अभियुक्त विचारण हेतु कभी उपस्थित नहीं हुआ और मामला सुनवाई के लिए नियत नहीं था, जो विचारण हेतु पक्षकारों की उपस्थिति को द्योतित करता है। यद्यपि, मजिस्ट्रेट ने सीआरपीसी की धारा 256 का अवलंब लिया। अब विधिक न्यायिक विनिश्चयों पर विचार किया जाए।

46. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी लिमिटेड (पूर्वोक्त) के मामले में दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 की धारा 247 पर विचार करते हुए, जो जम्मू एवं कश्मीर राज्य पर लागू थी तथा जिसकी समतुल्य धारा सीआरपीसी की धारा 256 है, उन दो अपेक्षाओं पर विचार किया जिन पर अभियुक्त को दोषमुक्त करते समय मजिस्ट्रेट द्वारा ध्यान दिया जाना आवश्यक है। न्यायालय ने पाया कि मजिस्ट्रेट ने उन अपेक्षाओं पर विचार नहीं किया और पुरानी संहिता की धारा 247 (सीआरपीसी की धारा 256) के अंतर्गत दोषमुक्ति का आदेश पारित कर दिया। न्यायालय ने यह

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



माना कि सीआरपीसी की धारा 256 का अवलंब लेते समय मजिस्ट्रेट को यह ध्यान रखना चाहिए कि नियत तिथि पर परिवादी की उपस्थिति आवश्यक है। सुसंगत प्रस्तर 16 एवं 17 नीचे उद्धृत किए गए हैं:-

"16. पुरानी संहिता में धारा 247 (या नई संहिता में धारा 256) जैसे उपबंध को समाविष्ट करने का उद्देश्य क्या था? यह परिवादी की ओर से की जाने वाली विलंबकारी युक्तियों के विरुद्ध एक प्रकार का निवारण (Deterrence) प्रदान करता है जिसने अपने परिवाद के माध्यम से विधि को गतिमान किया है। एक अभियुक्त, जो विवशतावश न्यायालय की सभी नियत तिथियों पर उपस्थित होता है, परिवादी द्वारा अत्यधिक परेशान किया जा सकता है यदि वह (परिवादी) उन अवसरों पर न्यायालय में उपस्थित नहीं होता है जब उसकी उपस्थिति आवश्यक होती है। इसलिए, यह धारा अभियुक्त को परिवादी की ऐसी युक्तियों के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करती है। परंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि यदि परिवादी अनुपस्थित है, तो न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वह अभियुक्त को अनिच्छा के बावजूद (In invitum) दोषमुक्त कर दे।

17. इस धारा को पूर्णतः पढ़ने से यह प्रकट होगा कि इस धारा के अंतर्गत शक्ति का प्रयोग करने के लिए न्यायालय पर दो सीमाएं अधिरोपित की गई हैं। पहली यह कि, यदि न्यायालय यह समझता है कि किसी स्थिति में सुनवाई को स्थगित करना उचित

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



है, तो मजिस्ट्रेट अभियुक्त को दोषमुक्त नहीं करेगा। दूसरी यह कि, जब मजिस्ट्रेट यह विचार करता है कि उस दिन परिवादी की वैयक्तिक उपस्थिति आवश्यक नहीं है, तो मजिस्ट्रेट को उसकी उपस्थिति से उसे अभिमुक्ति देने और मामले में आगे कार्यवाही करने की शक्ति प्राप्त है। जब न्यायालय यह संज्ञान लेता है कि परिवादी किसी विशिष्ट दिन अनुपस्थित है, तो न्यायालय को यह विचार करना चाहिए कि क्या मामले की प्रगति के लिए उस दिन परिवादी की वैयक्तिक उपस्थिति आवश्यक है और क्या स्थिति ऐसी तो नहीं है जो किसी अन्य कारण से मामले को अगली तिथि तक स्थगित करने को न्यायोचित ठहराती हो। यदि स्थिति मामले को स्थगित करने को न्यायोचित नहीं ठहराती है, तो न्यायालय परिवाद को खारिज करने और अभियुक्त को दोषमुक्त करने के लिए स्वतंत्र है। परंतु यदि उस दिन परिवादी की उपस्थिति बिल्कुल अनावश्यक थी, तो परिवाद को समाप्त करने के कदम का सहारा लेना इस धारा में परिकल्पित शक्ति का उचित प्रयोग नहीं माना जा सकता। इसलिए, इस विवेकाधिकार का प्रयोग दांडिक न्याय के प्रशासन के उद्देश्य को क्षति पहुँचाए बिना, न्यायिक और निष्पक्ष रूप से किया जाना चाहिए।"

47. एस. आनंद (पूर्वोक्त) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पुनः सीआरपीसी की धारा 256 की प्रयोज्यता और मजिस्ट्रेट द्वारा शक्ति के प्रयोग पर इस तर्क के आलोक में विचार किया है

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



कि जब मजिस्ट्रेट ने सीआरपीसी की धारा 256 का अवलंब लेते हुए परिवाद को खारिज किया था, तब अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत सीआरपीसी की धारा 311 के अंतर्गत एक आवेदन लंबित था। सुसंगत प्रस्तर 13, 14 एवं 15 नीचे उद्धृत किए गए हैं:-

"13. तिथि बचाव पक्ष के साक्षियों की परीक्षा करने के लिए नियत की गई थी। यदि अपीलार्थी चाहता तो साक्षियों की परीक्षा कर सकता था। उस स्थिति में, परिवादी की उपस्थिति आवश्यक नहीं थी। बचाव पक्ष की ओर से परीक्षित साक्षियों की प्रतिपरीक्षा करना उसका कार्य था।

14. अभियुक्त दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 311 के अंतर्गत आवेदन दाखिल करने का हकदार था। ऐसे आवेदन पर विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा विचार किया जाना और उसका निस्तारण किया जाना आवश्यक था। हमने इसके पूर्व यह संज्ञान लिया है कि परिवादी ने साक्षी के रूप में स्वयं की परीक्षा नहीं कराई थी। उसे प्रतिपरीक्षा के लिए पुनः समन किए जाने की मांग की गई थी। उक्त प्रार्थना को अभी तक स्वीकार नहीं किया गया था। परंतु, इसका यह अर्थ नहीं होगा कि उस आधार पर न्यायालय उस प्रक्रम पर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 256 के अंतर्गत अपने विवेकाधीन अधिकारिता का प्रयोग करेगा अथवा बचाव पक्ष अपने साक्षियों की परीक्षा नहीं करेगा।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



15. परिवादी या उसके अधिवक्ता की उपस्थिति, जैसा कि इसके पूर्व इंगित किया गया है, केवल बचाव पक्ष की ओर से परीक्षित साक्षियों की प्रतिपरीक्षा के उद्देश्य से आवश्यक होती। यदि उसका ऐसा करने का आशय नहीं था, तो वह अपने जोखिम पर ऐसा करती, परंतु यह नहीं कहा जा सकता कि उसकी उपस्थिति पूर्णतः आवश्यक थी। इसके अतिरिक्त, जब अभियोजन ने अपना साक्ष्य समाप्त कर लिया हो और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 311 के अधीन अभियुक्त की परीक्षा की जा चुकी हो, तब न्यायालय से मामले के गुण-दोष के आधार पर निर्णय पारित करना अपेक्षित था।"

48. एस. राम कृष्ण (पूर्वोक्त) के मामले में, परिवादी की मृत्यु हो गई थी, अधिवक्ता ने प्रतिस्थापन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया, अभियुक्त ने आपत्ति प्रस्तुत की, तत्पश्चात एक वर्ष तक परिवादी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ और मजिस्ट्रेट ने परिवाद को खारिज कर दिया तथा अभियुक्त को दोषमुक्त कर दिया। इस पर, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तर 9 में सीआरपीसी की धारा 256(1) के आवश्यक तत्वों पर विचार किया है। इसे नीचे उद्धृत किया गया है:-

"धारा 256(1) के आवश्यक तत्व निम्नलिखित हैं: (i) परिवाद पर समन जारी किया गया हो, (ii) मजिस्ट्रेट की यह राय होनी चाहिए कि किन्हीं कारणों से मामले की सुनवाई को किसी अन्य तिथि तक के लिए स्थगित करना उचित नहीं है; तथा (iii) वह तिथि जिसको धारा 256(1) के अंतर्गत आदेश पारित किया जा सकता है, वह

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अभियुक्त की उपस्थिति के लिए नियत किया गया दिन या तत्पश्चात कोई ऐसा दिन होना चाहिए जिसको मामले की सुनवाई स्थगित की गई हो।"

49. बीएलएस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (पूर्वोक्त) के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सीआरपीसी की धारा 256 के विस्तार (Scope) तथा मजिस्ट्रेट द्वारा प्रयोग की गई शक्तियों पर विचार किया है और यह माना है कि यदि परिवादी, जिसने सीआरपीसी की धारा 311 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत किया है, आवेदन पर बल देने के लिए न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होता है, तो मजिस्ट्रेट द्वारा सीधे परिवाद को खारिज कर देना न्यायोचित नहीं है। पूर्वोक्त निर्णय के सुसंगत प्रस्तर 12 एवं 16 नीचे उद्धृत किए गए हैं:-

"12. धारा 256 की उपधारा (1) के परंतुक को सामान्य रूप से पढ़ने से यह दर्शित होगा कि जहां मजिस्ट्रेट का यह समाधान हो जाता है कि परिवादी की वैयक्तिक उपस्थिति आवश्यक नहीं है, वहां वह परिवादी की उपस्थिति से उसे अभिमुक्ति दे सकता है और मामले में आगे कार्यवाही कर सकता है। ऐसी स्थिति तब उत्पन्न हो सकती है जब परिवादी/अभियोजन का साक्ष्य अभिलिखित किया जा चुका हो और मामले का विनिश्चय गुण-दोष के आधार पर करने के लिए परिवादी की उपस्थिति आवश्यक न हो।

13. xxxxxx

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



14. xxxxxx

15. xxxxxx

16. इसके अतिरिक्त, यदि परिवादी संहिता की धारा 311 के अधीन आवेदन पर बल देने के लिए उपस्थित नहीं हुआ था, तो विद्वान मजिस्ट्रेट संहिता की धारा 311 के अंतर्गत आवेदन को अस्वीकार कर सकते थे और उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर मामले में आगे कार्यवाही कर सकते थे। अतः हमारा यह सुविचारित मत है कि विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा केवल परिवादी के उपस्थित न होने पर सीधे परिवादों को खारिज कर देना और अभियुक्त की दोषमुक्ति का आदेश देना न्यायोचित नहीं था। उच्च न्यायालय भी पूर्वोक्त पहलुओं का संज्ञान लेने में विफल रहा। तदनुसार, आक्षेपित आदेश अपास्त किए जाने योग्य हैं।"

50. अभियुक्त/आवेदक की ओर से उद्धृत किए गए सभी निर्णयों में एक सामान्य तथ्य यह है कि परिवाद में अभियुक्त उपस्थित था, जो विचारण का सामना कर रहा था, और जब परिवादी उपस्थित नहीं हुआ तब मजिस्ट्रेट ने सही या गलत रूप से सीआरपीसी की धारा 256 का अवलंब लेते हुए परिवाद को खारिज कर दिया था। यह **अनिल कुमार अग्रवाल (पूर्वोक्त)** के मामले में भी चर्चा और विचार-विमर्श का बिंदु रहा है, जिसे एक निर्देश पर बृहत्तर पीठ द्वारा निर्णीत किया गया है कि परिवादी/पीड़ित को दोषमुक्ति के आदेश के विरुद्ध सीआरपीसी की धारा 378 की उपधारा (4) एवं

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(5) के अंतर्गत अपील दाखिल करने का अधिकार प्राप्त है। वर्तमान मामले और ऊपर चर्चा किए गए मामलों में अंतर यह है कि उनमें विचारण का सामना कर रहा अभियुक्त उपस्थित था। यदि अभियुक्त विचारण का सामना करने के लिए उपस्थित ही नहीं हुआ, तो क्या उसे दोषमुक्त किया जा सकता था? सीआरपीसी के अध्याय XX के अधीन उपबंधित समन विचारण की योजना अभियुक्त की उपस्थिति से आरंभ होती है। सीआरपीसी की धारा 251 यह उपबंधित करती है कि जब किसी समन-मामले में अभियुक्त उपस्थित होता है, तब मजिस्ट्रेट द्वारा उसे अभियोग का सार यह जानने के लिए बताया जाएगा कि क्या वह दोषी होने का अभिवचन करता है अथवा कोई बचाव प्रस्तुत करना चाहता है। यदि अभियुक्त दोषी होने का अभिवचन करता है, तो मजिस्ट्रेट सीआरपीसी की धारा 252 के अंतर्गत उसे दोषसिद्ध कर सकता है, अन्यथा, जहां अभियुक्त दोषी न होने का अभिवचन करता है, वहां सीआरपीसी की धारा 254 के अंतर्गत प्रक्रिया विहित की गई है। यह प्रक्रिया नीचे दोहराई गई है:-

"254. जब दोषसिद्ध न किया जाए तब प्रक्रिया—

(1) यदि मजिस्ट्रेट धारा 252 या धारा 253 के अधीन अभियुक्त को दोषसिद्ध नहीं करता है, तो मजिस्ट्रेट अभियोजन को सुनने और ऐसे सभी साक्ष्य लेने के लिए अग्रसर होगा जो अभियोजन के समर्थन में पेश किए जाएं, तथा अभियुक्त को सुनने और ऐसे सभी साक्ष्य लेने के लिए भी अग्रसर होगा जो वह अपने बचाव में पेश करे।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(2) यदि मजिस्ट्रेट ठीक समझे तो वह अभियोजन या अभियुक्त के आवेदन पर किसी साक्षी को यह निदेश देते हुए समन जारी कर सकता है कि वह हाजिर हो या कोई दस्तावेज अथवा अन्य चीज पेश करे।

(3) मजिस्ट्रेट ऐसे आवेदन पर किसी साक्षी को समन करने से पूर्व, यह अपेक्षा कर सकता है कि विचारण के प्रयोजनों के लिए हाजिर होने में साक्षी द्वारा उपगत किए गए युक्तियुक्त व्यय न्यायालय में जमा किए जाएं।"

51. धारा 255 दोषमुक्ति या दोषसिद्धि का प्रावधान करती है, जिसे नीचे दोहराया गया है:-

"255. दोषमुक्ति या दोषसिद्धि-

(1) यदि मजिस्ट्रेट धारा 254 में निर्दिष्ट साक्ष्य और ऐसे अतिरिक्त साक्ष्य, यदि कोई हो, जिसे वह स्वप्रेरणा से पेश करवाए, लेने के उपरांत यह पाता है कि अभियुक्त दोषी नहीं है, तो वह दोषमुक्ति का आदेश अभिलिखित करेगा।

(2) जहां मजिस्ट्रेट धारा 325 या धारा 360 के उपबंधों के अनुसार अग्रसर नहीं होता है, वहां यदि वह अभियुक्त को दोषी पाता है, तो वह विधि के अनुसार उस पर दंडादेश पारित करेगा।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(3) कोई मजिस्ट्रेट धारा 252 या धारा 255 के अधीन अभियुक्त को इस अध्याय के अधीन विचारणीय किसी ऐसे अपराध के लिए दोषसिद्ध कर सकता है, जिसे स्वीकृत या साबित तथ्यों से उसके द्वारा किया गया प्रतीत होता हो, चाहे परिवाद या समन की प्रकृति कुछ भी हो, यदि मजिस्ट्रेट का यह समाधान हो जाता है कि उससे अभियुक्त पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।"

52. इस प्रकार, विचारण की यह योजना अभियुक्त के विचारण का सामना करने हेतु उपस्थित होने, दोषी होने का अभिवचन करने या बचाव प्रस्तुत करने के उसके कथन को अभिलिखित करने, दोषी होने के अभिवचन पर दोषसिद्धि करने और न्यायनिर्णयन हेतु विचारण में आगे की कार्यवाही करने का प्रावधान करती है।

53. सीआरपीसी की धारा 256 के विस्तार और प्रयोज्यता पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **रंजीत सरकार बनाम रवि गणेश भारद्वाज (17)** के मामले में पुनः विचार किया गया है, जिसमें यह संप्रेक्षित किया गया है कि सीआरपीसी की धारा 256 का अवलंब अभियुक्त को दोषमुक्त करने के लिए तभी लिया जा सकता है, जब अभियुक्त की दोषमुक्ति परिवादी की अनुपस्थिति के तार्किक परिणाम के रूप में अनुसरित होती हो। सुसंगत प्रस्तर 23 नीचे उद्धृत किया गया है:-

"23. इसलिए, सीआरपीसी की धारा 256 का अवलंब लेने के लिए जो बात अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है, वह वह प्रयोजन है जिसके लिए मामला नियत किया गया है।"

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



यदि तिथि अभियुक्त की उपस्थिति के लिए नियत नहीं की गई है, अपितु किसी अन्य प्रयोजन के लिए नियत की गई है, जैसा कि वर्तमान मामले में है, तो अभियुक्त की दोषमुक्ति आवश्यक रूप से परिवादी की अनुपस्थिति के तार्किक परिणाम के रूप में नहीं होती है। इसके अतिरिक्त, "तत्पश्चात किसी ऐसे दिन" शब्दों को इसके पूर्ववर्ती शब्दों, अर्थात् "अभियुक्त की हाजिरी के लिए नियत किए गए दिन" के संदर्भ में समझा जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि मजिस्ट्रेट द्वारा कोई तिथि किसी वरिष्ठ न्यायालय से आदेश लाने के लिए, या यह कारण दर्शित करने के लिए कि परिवादी की निरंतर अनुपस्थिति के कारण खारिज करने का आदेश क्यों न पारित किया जाए, अथवा कोई ऐसी सामग्री पेश करने के लिए नियत की गई है जो वाद की प्रगति के किसी कदम से तात्त्विक रूप से जुड़ी हुई नहीं है, और परिवादी अनुपस्थित पाया जाता है, तो परिवाद को खारिज करने का आदेश दिया जा सकता है, परंतु अभियुक्त को दोषमुक्त करने का उपबंध तब तक आकर्षित नहीं हो सकता जब तक कि वह अभियुक्त की उपस्थिति के लिए नियत की गई तिथि न हो और वे व्यक्तिगत रूप से या किसी अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित न हों; इसके अतिरिक्त, मजिस्ट्रेट द्वारा परिवाद खारिज करने के आदेश के साथ स्पष्ट दोषमुक्ति अभिलिखित किए बिना, परिवादी की अनुपस्थिति के कारण परिवाद खारिज करने के ऐसे प्रत्येक आदेश में दोषमुक्ति को स्वतः अंतर्निहित नहीं माना जाना चाहिए।"

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



54. वर्तमान मामले में, नियत तिथि पर परिवादी की अनुपस्थिति किसी भी दृष्टिकोण से अभियुक्त की दोषमुक्ति का कारण नहीं बन सकती, क्योंकि अभियुक्त विचारण में उपस्थित ही नहीं हो रहा था। सीआरपीसी की धारा 256 उस अभियुक्त की दोषमुक्ति की परिकल्पना करती है जो न्यायालय के समक्ष उपस्थित हो, न कि तब जब वह विचारण से फरार हो। इसलिए, बिंदु संख्या (ii) एवं (iii) पर ऊपर विचार किए गए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय तथा विधि के इन उपबंधों के आलोक में तदनुसार विनिश्चय किया जाता है कि जहां परिवाद की सुनवाई के लिए परिवादी की उपस्थिति आवश्यक नहीं है, वहां दोषमुक्ति अभिलिखित नहीं की जा सकती। अतः दिनांक 29.09.2014 को मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश प्रत्यक्षतः एक अवैध आदेश है।

55. जहां तक बिंदु संख्या (iv) का संबंध है, यह एक स्वीकृत स्थिति है कि संज्ञान-पूर्व प्रक्रम पर अभिलिखित साक्ष्य ही पत्रावली पर उपलब्ध एकमात्र साक्ष्य है। संज्ञानोपरांत प्रक्रम पर कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है क्योंकि संज्ञान लेने के उपरांत परिवादी को साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर ही नहीं मिला, क्योंकि परिवाद मामला दिनांक 29.09.2014 तक, जब परिवाद को खारिज करने का आदेश पारित किया गया था, निरंतर अभियुक्त की उपस्थिति के लिए ही नियत किया जा रहा था। अतः बिंदु संख्या (iv) का तदनुसार उत्तर दिया जाता है।

56. उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो गया कि परिवादी ने सीआरपीसी की धारा 204(4) के अधीन अपेक्षित समन और आदेशिकाओं की तामीली के लिए कदम उठाए हैं तथा परिवाद की कार्यवाही में

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



विचारण का सामना किए बिना ही अभियुक्त को दोषमुक्त कर दिया गया है, और संज्ञानोपरांत प्रक्रम के बाद मजिस्ट्रेट के पास ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जो अभियुक्त की दोषमुक्ति को न्यायोचित ठहरा सके। अब, विचारणीय बिंदुओं को बिंदु संख्या (v) पर और अधिक स्पष्ट किया गया है। इस विषय पर विचार करने के लिए, सबसे पहला और अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदु सीआरपीसी की धारा 397 से 402 तक के अंतर्गत उपबंधित दांडिक पुनरीक्षण का विस्तार है, जो उच्च न्यायालय और सत्र न्यायालय द्वारा प्रयोग की जाने वाली पुनरीक्षण अधिकारिता की शक्ति और व्याप्ति से संबंधित है। सत्र न्यायालय की पुनरीक्षण अधिकारिता पर विचार किया जाना आवश्यक है, क्योंकि पुनरीक्षण सत्र न्यायालय के समक्ष दाखिल किया गया है और सीआरपीसी की धारा 400 के उपबंधों के अनुसार अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा इसका प्रयोग किया गया है, जो अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा सीआरपीसी के अध्याय XXX (निर्देश और पुनरीक्षण) के अंतर्गत उन सभी शक्तियों के प्रयोग का प्रावधान करती है जो सत्र न्यायाधीश द्वारा प्रयोग की जा सकती हैं। सीआरपीसी की धारा 397, 398, 399 एवं 401 के उपबंध नीचे दोहराए गए हैं:-

"397. पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अभिलेख मंगाना—

(1) उच्च न्यायालय या कोई सत्र न्यायाधीश अपनी स्थानीय अधिकारिता के भीतर

स्थित किसी भी अवर दांडिक न्यायालय के समक्ष किसी भी कार्यवाही का अभिलेख,

अभिलिखित किए गए या पारित किए गए किसी भी निष्कर्ष, दंडादेश या आदेश की

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



शुद्धता, वैधता या औचित्य के संबंध में, तथा ऐसे अवर न्यायालय की किन्हीं भी कार्यवाहियों की नियमितता के संबंध में स्वयं का समाधान करने के प्रयोजन से मंगा सकता है और उसका परीक्षण कर सकता है, तथा ऐसा अभिलेख मंगाते समय यह निदेश दे सकता है कि किसी भी दंडादेश या आदेश का निष्पादन निलंबित रखा जाए, और यदि अभियुक्त परिरोध में है, तो उसे अभिलेख के परीक्षण के लंबित रहने तक जमानत पर या उसके अपने बंधपत्र पर रिहा कर दिया जाए।

(2) उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग किसी भी अपील, जांच, विचारण या अन्य कार्यवाही में पारित किसी भी अंतर्वर्ती आदेश के संबंध में नहीं किया जाएगा।

(3) यदि इस धारा के अधीन कोई आवेदन किसी व्यक्ति द्वारा या तो उच्च न्यायालय को या सत्र न्यायाधीश को किया गया है, तो उसी व्यक्ति द्वारा कोई भी अतिरिक्त आवेदन उनमें से दूसरे के द्वारा ग्रहण नहीं किया जाएगा।"

"398. जांच का आदेश देने की शक्ति—

धारा 397 के अधीन या अन्यथा किसी अभिलेख का परीक्षण करने पर, उच्च न्यायालय या सत्र न्यायाधीश मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को स्वयं या अपने अधीनस्थ मजिस्ट्रेटों

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



में से किसी के द्वारा, किसी ऐसे परिवाद में जो धारा 203 या धारा 204 की उपधारा (4) के अधीन खारिज कर दिया गया है, अथवा किसी अपराध के ऐसे अभियुक्त व्यक्ति के मामले में जिसे उन्मोचित (डिस्चार्ज) कर दिया गया है, और अधिक जांच करने का निदेश दे सकता है, और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट स्वयं ऐसी जांच कर सकता है या किसी अधीनस्थ मजिस्ट्रेट को ऐसा करने का निदेश दे सकता है:

परंतु कोई भी न्यायालय किसी ऐसे व्यक्ति के मामले में, जिसे उन्मोचित कर दिया गया है, जांच करने के लिए इस धारा के अधीन तब तक कोई निदेश नहीं देगा जब तक कि ऐसे व्यक्ति को यह कारण दर्शित करने का अवसर न दे दिया गया हो कि ऐसा निदेश क्यों न दिया जाए।"

"399. सत्र न्यायाधीश की पुनरीक्षण की शक्तियां—

(1) किसी ऐसी कार्यवाही के मामले में जिसका अभिलेख उसने स्वयं मंगाया है, सत्र न्यायाधीश उन सभी या किन्हीं भी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है जो धारा 401 की उपधारा (1) के अधीन उच्च न्यायालय द्वारा प्रयोग की जा सकती हैं।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन सत्र न्यायाधीश के समक्ष पुनरीक्षण के रूप में कोई कार्यवाही आरंभ की जाती है, वहां धारा 401 की उपधारा (2), (3), (4) और (5) के

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



उपबंध, जहां तक हो सके, ऐसी कार्यवाही पर लागू होंगे और उक्त उपधाराओं में उच्च न्यायालय के प्रति निर्देशों का अर्थ सत्र न्यायाधीश के प्रति निर्देश लगाया जाएगा।

(3) जहां किसी व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से सत्र न्यायाधीश के समक्ष पुनरीक्षण के लिए कोई आवेदन किया जाता है, वहां उस पर सत्र न्यायाधीश का विनिश्चय ऐसे व्यक्ति के संबंध में अंतिम होगा और ऐसे व्यक्ति के कहने पर पुनरीक्षण के रूप में कोई अतिरिक्त कार्यवाही उच्च न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय द्वारा ग्रहण नहीं की जाएगी।"

"401. उच्च न्यायालय की पुनरीक्षण की शक्तियां—

(1) किसी ऐसी कार्यवाही के मामले में जिसका अभिलेख उसने स्वयं मंगाया है या जो अन्यथा उसके ज्ञान में आती है, उच्च न्यायालय अपने विवेकानुसार, अपील न्यायालय को धारा 386, 389, 390 और 391 द्वारा अथवा सत्र न्यायालय को धारा 307 द्वारा प्रदत्त शक्तियों में से किसी का भी प्रयोग कर सकता है, और जब पुनरीक्षण न्यायालय का गठन करने वाले न्यायाधीशों की राय बराबर बंटी हो, तब मामले का निस्तारण धारा 392 द्वारा उपबंधित रीति से किया जाएगा।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(2) इस धारा के अधीन कोई भी आदेश अभियुक्त या किसी अन्य व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला तब तक नहीं पारित किया जाएगा जब तक कि उसे स्वयं या किसी प्लीडर द्वारा अपने बचाव में सुनवाई का अवसर न मिल गया हो।

(3) इस धारा की किसी भी बात से यह नहीं समझा जाएगा कि वह उच्च न्यायालय को दोषमुक्ति के निष्कर्ष को दोषसिद्धि में संपरिवर्तित करने के लिए प्राधिकृत करती है।

(4) जहां इस संहिता के अधीन अपील हो सकती है और कोई अपील नहीं की गई है, वहां उस पक्षकार के कहने पर जिसने अपील की हो सकती थी, पुनरीक्षण के रूप में कोई भी कार्यवाही ग्रहण नहीं की जाएगी।

(5) जहां इस संहिता के अधीन अपील हो सकती है परंतु किसी व्यक्ति द्वारा उच्च न्यायालय को पुनरीक्षण के लिए आवेदन किया गया है और उच्च न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा आवेदन इस त्रुटिपूर्ण विश्वास के अधीन किया गया था कि उसकी कोई अपील नहीं हो सकती है और न्याय के हित में ऐसा करना आवश्यक है, वहां उच्च न्यायालय पुनरीक्षण के आवेदन को अपील की याचिका मान सकता है और तदनुसार उस पर कार्यवाही कर सकता है।"

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



57. पुनरीक्षण अधिकारिता के विस्तार पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **अमित कपूर बनाम रमेश चंद्र (18)** के मामले में (सुसंगत प्रस्तर 12 एवं 13) विचार किया गया है, जिसमें यह धारित किया गया है कि पुनरीक्षण के उपबंधों का उद्देश्य किसी वरिष्ठ न्यायालय द्वारा उस स्थिति में परीक्षण करना है जब आदेश अत्यधिक त्रुटिपूर्ण हो और विधि की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए वरिष्ठ पुनरीक्षण न्यायालय का हस्तक्षेप आवश्यक हो गया हो, जिसमें विधि का प्रश्न ही पुनरीक्षण न्यायालय का मुख्य सरोकार होता है। प्रस्तर 12 एवं 13 नीचे दोहराए गए हैं:-

"12. विचारण न्यायालय या अवर न्यायालय, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा पारित किसी आदेश की शुद्धता, वैधता या औचित्य का परीक्षण करने के लिए धारा 397 के अधीन न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग किया जा सकता है। यद्यपि यह धारा विशेष रूप से 'किसी भी न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने या अन्यथा न्याय के उद्देश्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करने' जैसी अभिव्यक्ति का उपयोग नहीं करती है, तथापि धारा 397 के अंतर्गत अधिकारिता अत्यंत सीमित है। किसी न्यायालय द्वारा पारित आदेश की वैधता, औचित्य या शुद्धता ही धारा 397 के अधीन अधिकारिता के प्रयोग का मूल आधार है, परंतु अंततः इसमें यह भी आवश्यक है कि न्याय किया जाए। इस अधिकारिता का प्रयोग वहां किया जा सकता है जहां कोई प्रत्यक्ष त्रुटि हो, विधि के उपबंधों का अनुपालन न किया गया हो, विनिश्चय पूर्णतः त्रुटिपूर्ण हो अथवा जहां

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



न्यायिक विवेकाधिकार का मनमाने ढंग से प्रयोग किया गया हो। दूसरी ओर, धारा 482 इस विधिक सूत्र (मैक्सिम) पर आधारित है— क्वांडो लेक्स अलिकुई अलिक्विड कंसीडिट, कंसीडरे विदेतुर इद् क्वो रेस इप्सा एस्से नोन पोटेस्ट, अर्थात् जब विधि किसी को कुछ प्रदान करती है, तो वह वे सभी वस्तुएं भी प्रदान करती है जिनके बिना वह वस्तु स्वयं निष्फल होगी। यह धारा न्यायालय को न्याय करने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत व्यापक शक्ति प्रदान करती है कि न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग न होने दिया जाए।

13. इन दोनों उपबंधों के अधीन न्यायालय द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियों का तुलनात्मक परीक्षण करना कुछ हद तक आवश्यक हो सकता है। इन दोनों शक्तियों के बीच कुछ अतिव्यापन (टकराव या दोहराव) हो सकता है क्योंकि दोनों का उद्देश्य न्याय के लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करना है और दोनों में विवेकाधिकार का तत्व विद्यमान है। परंतु, इसके साथ ही, संहिता की धारा 482 के अधीन अंतर्निहित शक्ति एक असाधारण और अवशिष्ट शक्ति होने के कारण, यह उन मामलों के संबंध में लागू नहीं होती है जिनके लिए संहिता के अन्य उपबंधों के अंतर्गत विशेष रूप से प्रावधान किया गया है। सरल शब्दों में कहें तो, सामान्यतः न्यायालय संहिता की धारा 482 के अधीन अपनी शक्ति का अवलंब वहां नहीं ले सकता जहां कोई पक्षकार स्वयं संहिता की धारा

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



397 के अंतर्गत उपलब्ध उपचार का लाभ उठा सकता था। संहिता की धारा 482 के अधीन अंतर्निहित शक्तियां व्यापक परिमाण की हैं और वे धारा 397 के अधीन शक्ति की भांति सीमित नहीं हैं। धारा 482 का अवलंब वहां लिया जा सकता है जहां प्रश्नगत आदेश न तो धारा 397(2) के अर्थ के अंतर्गत एक अंतर्वर्ती आदेश है और न ही सख्त अर्थों में कोई अंतिम आदेश है। इस संबंध में राज कपूर एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य [एआईआर 1980 एससी 258 : (1980) 1 एससीसी 43] के मामले का संदर्भ लिया जा सकता है। इसी मामले में, इस न्यायालय ने संप्रेक्षित किया है कि यदि धारा 397(2) और 397(3) के अधीन वर्जना लागू होती है, तो न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए असाधारण स्थितियों को छोड़कर, धारा 482 के अधीन अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। यह अपने आप में इन दोनों उपबंधों के अधीन न्यायालय द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियों के बीच सूक्ष्म अंतर को दर्शाता है। इसी मामले में, न्यायालय ने इस बात पर भी विचार किया कि जब धारा 397 के अधीन पुनरीक्षण की शक्ति अतिव्याप्त होती है, तो क्या धारा 482 के अधीन उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियां निरस्त हो जाती हैं। इस तर्क को अस्वीकार करते हुए, न्यायालय ने कहा कि धारा 482 के प्रारंभिक शब्द इस दलील का खंडन करते हैं क्योंकि संहिता में कोई भी बात, यहां तक कि धारा 397 भी, धारा 482 की भाषा द्वारा इतने स्पष्ट रूप से संरक्षित अंतर्निहित शक्तियों के विस्तार को प्रभावित नहीं

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



कर सकती है। जहां न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग या कोई अन्य असाधारण स्थिति न्यायालय की अधिकारिता को आमंत्रित करती है, वहां अंतर्निहित शक्तियों के प्रयोग पर कोई पूर्ण प्रतिबंध नहीं है। इसकी सीमा केवल आत्म-संयम है, इससे अधिक कुछ नहीं। अंतिम और अंतर्वर्ती आदेश के बीच का अंतर विधि में भली-भांति ज्ञात है। जो आदेश धारा 397(2) के वर्जन से मुक्त होंगे, वे ऐसे आदेश होंगे जो विशुद्ध रूप से अंतर्वर्ती नहीं हैं, परंतु साथ ही, अंतिम निस्तारण से कम हैं। वे ऐसे आदेश होने चाहिए जो किसी अधिकार का अवधारण करते हों और फिर भी न्यायालय को वाद के संबंध में पूर्णतः कर्तव्यमुक्त (फंग्टस ऑफिशियो) न बनाते हों। धारा 482 के उपबंध सर्वव्यापी हैं। इन्हें इसी संहिता में लिखित विधिक निषेधों को नष्ट नहीं करना चाहिए, तथापि, न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों को निर्विवाद रूप से प्रतिबंधों से मुक्त पढ़ा और अर्थावित किया जाना चाहिए।"

58. इस विषय पर विचार करते हुए, इस न्यायालय ने पूर्व में ही यह संज्ञान लिया है कि पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जिसका तार्किक परिणाम परिवादी की अनुपस्थिति में अभियुक्त की दोषमुक्ति के रूप में होता, क्योंकि अभियुक्त विचारण के आरंभ के लिए कभी उपस्थित ही नहीं हुआ, जो कि वर्तमान मामले में सीआरपीसी की धारा 251 के अनुसरण में अभियुक्त के समक्ष अभियोग का सार प्रस्तुत करने के उपरांत आरंभ होता, जो यह उपबंधित करती है: **"जब किसी**

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



समन-मामले में अभियुक्त हाजिर होता है या मजिस्ट्रेट के समक्ष लाया जाता है, तब उस अपराध की विशिष्टियां, जिसका उस पर अभियोग है, उसे बताई जाएंगी और उससे पूछा जाएगा कि क्या वह दोषी होने का अभिवचन करता है अथवा कोई बचाव प्रस्तुत करना चाहता है, परंतु विधिवत आरोप विरचित करना आवश्यक नहीं होगा।"

59. ऊपर विवेचित माननीय सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के निर्णय विशेष रूप से सीआरपीसी की धारा 378(4) का अवलंब लेते हुए दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील दाखिल करने के संबंध में बात करते हैं, परंतु वर्तमान मामले के तथ्य उन मामलों के तथ्यों से भिन्न हैं, जिन पर पूर्ववर्ती प्रस्तरों में विचार किया गया है। दोषमुक्ति के मामले में अपील से संबंधित सीआरपीसी की धारा 378 नीचे दोहराई गई है:-

"378. दोषमुक्ति के मामले में अपील—

(1) उपधारा (2) में जैसा उपबंधित है उसके सिवाय, तथा उपधारा (3) और (5) के उपबंधों के अधीन रहते हुए,—

- **(a) जिला मजिस्ट्रेट किसी भी मामले में, लोक अभियोजक को किसी संज्ञेय और गैर-जमानतीय अपराध के संबंध में मजिस्ट्रेट द्वारा पारित दोषमुक्ति के आदेश के विरुद्ध सत्र न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने का निदेश दे सकता है;**

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



- (b) राज्य सरकार किसी भी मामले में, लोक अभियोजक को उच्च न्यायालय से भिन्न किसी न्यायालय द्वारा पारित दोषमुक्ति के किसी मूल या अपीलीय आदेश के विरुद्ध [जो खंड (a) के अधीन आदेश अथवा पुनरीक्षण में सत्र न्यायालय द्वारा पारित दोषमुक्ति का आदेश न हो] उच्च न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने का निदेश दे सकती है।

(2) यदि दोषमुक्ति का ऐसा आदेश किसी ऐसे मामले में पारित किया जाता है जिसमें अपराध का अन्वेषण दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम, 1946 (1946 का 25) के अधीन गठित दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन द्वारा, अथवा इस संहिता से भिन्न किसी केंद्रीय अधिनियम के अधीन किसी अपराध का अन्वेषण करने के लिए सशक्त किसी अन्य एजेंसी द्वारा किया गया है, तो केंद्रीय सरकार भी, उपधारा (3) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, लोक अभियोजक को निम्नलिखित के समक्ष अपील प्रस्तुत करने का निदेश दे सकती है—

- (a) किसी संज्ञेय और गैर-जमानतीय अपराध के संबंध में मजिस्ट्रेट द्वारा पारित दोषमुक्ति के आदेश के विरुद्ध, सत्र न्यायालय में;
- (b) उच्च न्यायालय से भिन्न किसी न्यायालय द्वारा पारित दोषमुक्ति के किसी मूल या अपीलीय आदेश के विरुद्ध [जो खंड (a) के अधीन आदेश अथवा

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



पुनरीक्षण में सत्र न्यायालय द्वारा पारित दोषमुक्ति का आदेश न हो], उच्च न्यायालय में।

(3) उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन कोई भी अपील उच्च न्यायालय की इजाजत के बिना ग्रहण नहीं की जाएगी।

(4) यदि दोषमुक्ति का ऐसा आदेश परिवाद पर संस्थित किसी मामले में पारित किया जाता है और उच्च न्यायालय, परिवादी द्वारा इस निमित्त उसे किए गए आवेदन पर, दोषमुक्ति के आदेश के विरुद्ध अपील करने की विशेष इजाजत प्रदान करता है, तो परिवादी उच्च न्यायालय में ऐसी अपील प्रस्तुत कर सकता है।

(5) दोषमुक्ति के आदेश के विरुद्ध अपील करने की विशेष इजाजत प्रदान करने के लिए उपधारा (4) के अधीन कोई भी आवेदन, जहां परिवादी एक लोक सेवक है वहां 6 माह की समाप्ति के पश्चात, और किसी अन्य मामले में 60 दिनों की समाप्ति के पश्चात, जो उस दोषमुक्ति के आदेश की तिथि से संगणित किए जाएंगे, उच्च न्यायालय द्वारा ग्रहण नहीं किया जाएगा।

(6) यदि किसी मामले में, दोषमुक्ति के आदेश के विरुद्ध अपील करने की विशेष इजाजत प्रदान करने के लिए उपधारा (4) के अधीन आवेदन नामंजूर कर दिया जाता है,

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



तो उस दोषमुक्ति के आदेश के विरुद्ध उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन कोई अपील नहीं हो सकेगी।"

60. 'दोषमुक्ति' शब्द का अर्थ और परिभाषा सीआरपीसी में उपबंधित नहीं है, परंतु इस शब्द का शाब्दिक अर्थ यह द्योतित करता है कि किसी न्यायालय द्वारा दिया गया यह औपचारिक निष्कर्ष कि अभियुक्त आरोपित अपराध का दोषी नहीं है। दोषमुक्ति केवल तभी अभिलिखित की जा सकती है जब अभियोजन मामले को साबित करने में विफल रहता है। वर्तमान मामले में, न तो अभियुक्त आरोप पर सुनवाई के लिए उपस्थित हुआ और न ही परिवादी को कभी साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया। ऐसी स्थिति में, यदि परिवादी सीआरपीसी की धारा 378(4) के अंतर्गत अपील की इजाजत हेतु आवेदन प्रस्तुत करने का आश्रय लेता है और न्यायालय द्वारा इजाजत प्रदान कर दी जाती है, तो अपीलीय न्यायालय के समक्ष अभियुक्त को दोषमुक्त करने के लिए मजिस्ट्रेट के पास उपलब्ध न्यायोचित साक्ष्य या सामग्री पर विचार करने हेतु क्या उपलब्ध होगा?

61. अतः, वर्तमान तथ्यात्मक परिदृश्य में पुनरीक्षण या अपील प्रस्तुत करने के बिंदु पर संपूर्ण तथ्यों और विधि पर विचार-विमर्श करने के उपरांत इस न्यायालय का यह मत है कि पुनरीक्षण प्रस्तुत करने का अधिकार है, न कि अपील का, क्योंकि अभियुक्त विचारण के लिए कभी उपस्थित ही नहीं हुआ और सीआरपीसी की धारा 256 के अंतर्गत अभियुक्त की दोषमुक्ति विधि की प्रक्रिया का

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



दुरुपयोग है तथा ऐसे विवेकाधिकार का प्रयोग है जो मजिस्ट्रेट को प्राप्त ही नहीं था। तदनुसार, बिंदु संख्या (v) पर इसी प्रकार विचार-विमर्श करके विनिश्चय किया जाता है।

61. चूंकि इस न्यायालय ने यह पाया है कि परिवादी द्वारा सीआरपीसी की धारा 399 और 401 के साथ पठित धारा 397 के अधीन पुनरीक्षण का उचित ही अवलंब लिया गया है, अतः अब विचारणीय बिंदु यह है कि क्या पुनरीक्षण न्यायालय (अपर सत्र न्यायाधीश) द्वारा पारित आदेश सीआरपीसी की धारा 401(2) के गैर-अनुपालन के कारण विधि की दृष्टि में दोषपूर्ण है, जो अभियुक्त को सुनवाई का अवसर प्रदान करने से संबंधित है, तथा यह दोहराती है कि **"इस धारा के अधीन कोई भी आदेश अभियुक्त या किसी अन्य व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला तब तक नहीं पारित किया जाएगा जब तक कि उसे स्वयं या किसी प्लीडर द्वारा अपने बचाव में सुनवाई का अवसर न मिल गया हो।"** पुनरीक्षण आदेश को देखने से ही यह स्पष्ट है कि अभियुक्त उपस्थित नहीं हुआ था, परंतु अभियुक्त ने नोटिस जारी किए जाने और न्यायालय के समाधान के बिंदु पर पुनरीक्षण न्यायालय के आदेश-पत्र की प्रति संलग्न नहीं की है। तथापि, मजिस्ट्रेट न्यायालय का पश्चातवर्ती आदेश-पत्र संलग्न किया गया है, जिससे यह प्रकट होता है कि दिनांक 10.04.2018 से 24.01.2024 तक निरंतर आदेशिकाएं अर्थात् समन, जमानती वारंट और गैर-जमानती वारंट जारी किए गए हैं, परंतु अभियुक्त उपस्थित नहीं हुआ और उसने सीधे सीआरपीसी की धारा 482 का अवलंब लेते हुए इस न्यायालय के समक्ष आक्षेप प्रस्तुत कर दिया। यह दर्शाता है कि अभियुक्त एक कपटपूर्ण वादकारी है, जिसका

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



मुख्य उद्देश्य न्यायालय की आदेशिकाओं की अवहेलना करना और मामले की कार्यवाहियों को किसी भी सीमा तक विलंबित करना है।

62. अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का अंतिम तर्क दिनांक 25.02.2012 के समन आदेश को इस आधार पर रद्द करने का है कि खाता अभियुक्त के नाम पर संधारित नहीं है, जिसे परिवादी ने अपने परिवाद में स्वीकार किया है और समन जारी करते समय मजिस्ट्रेट द्वारा इसकी उपेक्षा की गई है, तथा उन्होंने जुगेश सहगल (पूर्वोक्त) और पी.जी. एगो टेक लिमिटेड (पूर्वोक्त) के मामलों का अवलंब लिया है; परंतु परिवाद को सामान्य रूप से पढ़ने से यह दर्शित नहीं होता है कि खाता अभियुक्त/आवेदक के नाम पर संधारित नहीं है। इसके अतिरिक्त, परिवाद पक्षकारों के मध्य ऐसे संव्यवहार को दर्शाता है जिसमें एन.आई. अधिनियम की धारा 141 का अवलंब लेने के लिए किसी कंपनी की कोई संलिप्तता नहीं है।

63. तदनुसार, (1) आवेदन अंतर्गत धारा 482 संख्या 12094 वर्ष 2024 (राय अनूप प्रसाद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य), (2) आवेदन अंतर्गत धारा 482 संख्या 12548 वर्ष 2024 (राय अनूप प्रसाद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य), (3) आवेदन अंतर्गत धारा 482 संख्या 12590 वर्ष 2024 (राय अनूप प्रसाद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य), (4) आवेदन अंतर्गत धारा 482 संख्या 12625 वर्ष 2024 (राय अनूप प्रसाद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य), (5) आवेदन अंतर्गत धारा 482 संख्या 12953 वर्ष 2024 (राय अनूप प्रसाद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य), (6) आवेदन

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अंतर्गत धारा 482 संख्या 12968 वर्ष 2024 (राय अनूप प्रसाद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य),
(7) आवेदन अंतर्गत धारा 482 संख्या 13016 वर्ष 2024 (राय अनूप प्रसाद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य
एवं अन्य) तथा (8) आवेदन अंतर्गत धारा 482 संख्या 113020 वर्ष 2024 (राय अनूप प्रसाद बनाम
उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य) को एतद्वारा 50,000/- रुपये के संचयी वाद-व्यय के साथ खारिज
किया जाता है, जो अभियुक्त द्वारा परिवादी को 30 दिनों के भीतर संदेय होगा; जबकि परिवादी
द्वारा प्रस्तुत आवेदन अंतर्गत धारा 482 संख्या 15862 वर्ष 2024 (गोपाल प्रसाद शर्मा बनाम उत्तर
प्रदेश राज्य एवं अन्य) को एतद्वारा स्वीकार किया जाता है तथा अपर सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ
प्रभाग) / अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय संख्या 4, आगरा अथवा विचारण मजिस्ट्रेट को
यह निदेश दिया जाता है कि वे **इन रे: परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138** के अधीन
मामलों का त्वरित विचारण के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किए गए निदेशों
के अनुसार, ऊपर वर्णित सभी मामलों के विचारण को त्वरित गति से संपन्न करें।

(न्यायमूर्ति अवनीश सक्सेना)

11 फरवरी, 2026

अभिषेक श्री.

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।